वर्ष 1950

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950

[1951 का बिहार अधिनियम सं॰ 1][1]

राष्ट्रपति की अनुमति बिहार गजट (असाधारण) दि॰ 21 फरवरी, 1951, में प्रकाशित।

हिन्दू धार्मिक न्यासों के बेहतर प्रशासन के लिए और उन न्यासों से सम्बन्धित सम्पत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए उपबन्ध करने वास्ते अधिनियम।

बिहार राज्य में हिन्दू धार्मिक न्यासों के बेहतर प्रशासन के लिए और उन न्यासों से सम्बन्धित सम्पत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए उपबन्ध करना समीचीन है:

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है:

अध्याय 1

आरंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख [2] से जो शासकीय राजपत्र में प्रथम प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने के पश्चात् की नहीं होगी प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।

2. परिभाषा.—इस अधिनियम में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो–

(क) ''पर्षद्'' से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन स्थापित, जैन धार्मिक न्यासों से भिन्न धार्मिक न्यासों की दशा में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्, श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास की दशा में बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् और दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास की दशा में बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद्;

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है पर्षद् द्वारा धारा 22 के अधीन नियुक्त की गई समिति;

(ग) ''जिला न्यायाधीश'' के अंतर्गत है इस अधिनियम के अधीन जिला न्यायाधीश के कृत्यों को निष्पादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त अवर न्यायाधीश;

(घ) ''संस्थापक'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो धार्मिक न्यास सृजित करता है;

(ङ) ''हिन्दू'' से अभिप्रेत है हिन्दू मूल के किसी धर्म को माननेवाला व्यक्ति और इसके अंतर्गत हैं जैन और बौद्ध, किंतु सिख इसके अंतर्गत नहीं है;

---

1. **विधायी दस्तावेज.**—उद्देश्यों एवं कारणों के लिए देखें बिहार गजट असाधारण दिनांक 19 जनवरी, 1950, विधान सभा में कार्यवाहियों के लिए देखें बिहार विधान सभा डिबेट्स 1949 Vol. 7 No. 28, पृष्ठ 3-8, 1950 Vol. I, No. 42, पृष्ठ 75-108, सं॰ 43, पृष्ठ 31-50, सं॰ 44 पृष्ठ 17-55, सं॰ 46 पृष्ठ 16-59, सं॰ 47 पृष्ठ 1-32, Vol. II, सं॰ 7, पृष्ठ 40-41, सं॰ 8 पृष्ठ 26-56 तथा विधान परिषद की कार्यवाहियों के लिए देखें बिहार विधान परिषद् डिबेट्स 1950, Vol. I, सं॰ 37, पृष्ठ 24, सं॰ 38, पृष्ठ 21-35, सं॰ 39, पृष्ठ 31-65, Vol. II सं॰ 8 पृष्ठ 7-8 सं॰ 11 पृष्ठ 17-27.
2. यह अधिनियम 15 अगस्त, 1951 से प्रवृत्त हुआ। अधिसूचना सं॰ 5023, दिनांक 23 जुलाई, 1951 देखें]

(च) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है पर्षद् का सदस्य;

(छ) ''धार्मिक न्यास में हितबद्ध व्यक्ति'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो धार्मिक न्यास से किसी आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार है और इसके अंतर्गत हैं–

(i) कोई व्यक्ति जिसे ऐसे न्यास से सम्बद्ध किसी धार्मिक संस्थान में उपासना करने या किसी कर्म का सम्पादन करने, या किसी उपासना या कर्म के सम्पादन पर उपस्थित होने या ऐसे न्यास के किसी धार्मिक या पूर्त प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है;

(ii) संस्थापक और संस्थापक का वंशज; और

(iii) न्यासी।

(ज) ''विहित'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्मित की गई नियमावली द्वारा विहित;

(झ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है धारा 7 या धारा 8 के अधीन पर्षद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति;

(ञ) ''अर्हताप्राप्त लेखाकार'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अर्हताप्राप्त लेखाकार घोषित कोई व्यक्ति या व्यक्ति-वर्ग;

(ट) ''क्षेत्रीय न्यास समिति'' से अभिप्रेत है पर्षद् द्वारा धारा 40 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय न्यास समिति;

(ठ) ''धार्मिक न्यास'' से अभिप्रेत है [1][और हमेशा अभिप्रेत माना जाएगा] हिन्दू विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक पवित्र या पूर्त प्रयोजन के लिए सृजित या विद्यमान कोई अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास, किंतु सिख धर्म के अनुसार या सिख सम्प्रदाय मात्र के लाभ के लिए सृजित कोई न्यास और पारिवारिक प्रतिमा की उपासना के लिए सृजित कोई निजी विन्यास, जिससे जनसाधारण हितबद्ध नहीं हों, [1][और जहां सार्वजनिक चढ़ावा एवं दान नहीं प्राप्त किया जाता हो] इसके अंतर्गत नहीं आएंगे;

(ड) ''अधीक्षक'' से अभिप्रेत है धारा 23 के अधीन धार्मिक न्यास में अधीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति;

(ढ) ''न्यासी'' से अभिप्रेत है किसी भी पदनाम से ज्ञात वह व्यक्ति जिसे धार्मिक न्यास के प्रशासन के लिए मौखिक तौर से या किसी विलेख या लिखत या न्यास की प्रथा के अनुसार या जिला न्यायाधीश या किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत हैं न्यासी के कर्त्तव्यों के पालन के लिए न्यासी द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और समिति का कोई सदस्य या उस रूप में तत्समय किसी न्यास-सम्पत्ति का प्रबन्धन या प्रशासन करनेवाला कोई अन्य व्यक्ति;

[2][(ण) ''न्यास निधि'' से अभिप्रेत है धारा 69 के अधीन बनाई गई, यथास्थिति, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् निधि, बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् निधि या बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद निधि;

(त) ''न्यास सम्पत्ति'' से अभिप्रेत है धार्मिक न्यास से सम्बद्ध सम्पत्ति।

3. लागू होना.—यह अधिनियम सभी न्यासों पर लागू होगा चाहे वे इस अधिनियम के आरंभ होने के पहले सृजित किये गये हों या बाद, यदि उनकी सम्पत्ति का कोई भाग बिहार राज्य में अवस्थित होगा।

---

1. बिहार (संशोधन) अधिनियम सं॰ 1 वर्ष 2007 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिनियम सं॰ 27 वर्ष 1953 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][**4. संशोधन और निरसन.**—(1) बंगाल पूर्त विन्यास, सार्वजनिक भवन और राजगामी सम्पत्ति विनियम, 1810 (1810 का बंगाल विनियम 19) की धारा 17 में, बिहार राज्य पर उसके लागू होने के लिये यथासंशोधित, **बिहार वक्फ अधिनियम, 1947 (1948 का बिहार अधिनियम 8)** के अधीन स्थापित मजलिस द्वारा बिहार राज्य में किसी वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में शब्दों और अंकों के लिए निम्नांकित शब्द और अंक **प्रतिस्थापित** किये जाएंगे, अर्थात:—

''बिहार अधिनियम, 1947 (1948 का बिहार अधिनियम 8) के तात्पर्य के अंतर्गत किसी वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में, और बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का बिहार प्रथम अधिनियम) के तात्पर्य के अंतर्गत किसी न्यास सम्पत्ति के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियमों के अधीन स्थापित क्रमशः मजलिस और पर्षद्, द्वारा।''

(2) बंगाल भू-राजस्व **विक्रय अधिनियम, 1959 (1959 का 11)** की धारा 5 के द्वितीय परंतुक में, ''वक्फ सम्पत्ति'' के बाद ''बिहार वक्फ अधिनियम 1947 (1948 का बिहार अधिनियम 8) के तात्पर्य के अंतर्गत, या बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम बिहार अधिनियम) के तात्पर्य के अंतर्गत न्यास सम्पत्ति ''शब्द और अंक प्रविष्ट किये जाएंगे, और ''बिहार वक्फ अधिनियम, 1947'' शब्द और अंकों के बाद, शब्द और अंक, या, यथास्थिति, ''बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का बिहार प्रथम अधिनियम) की धारा 5 के अधीन स्थापित पर्षद, के अध्यक्ष पर'' जोड़े जाएंगे।

(3) बिहार राज्य में लागू किये जाने के लिए यथा संशोधित **पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6),** की धारा 5 के परंतुक में, ''बिहार राज्य में किसी वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति बिहार वक्फ अधिनियम, 1947, के अधीन स्थापित मजलिस द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन प्रयोग की जाएगी'' शब्दों और अंकों के लिए ''बिहार वक्फ अधिनियम, 1947 (1948 का बिहार अधिनियम 8) के तात्पर्य के अंतर्गत कोई वक्फ सम्पत्ति, या बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का बिहार प्रथम अधिनियम) के तात्पर्य के अंतर्गत न्यास सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन प्रथम उल्लिखित अधिनियम के अधीन स्थापित मजलिस द्वारा अथवा, यथास्थिति, अंतिम उल्लिखित अधिनियम के अधीन स्थापित पर्षद् द्वारा प्रयोग की जाएगी'' शब्द और अंक **प्रतिस्थापित** किये जाएंगे।

(4) बिहार राज्य पर लागू होने में यथा संशोधित **दातव्य और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 (1920 का 14)** की धारा 13 में ''बिहार राज्य के किसी वक्फ पर लागू'' शब्दों के लिए ''या बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1950 का बिहार प्रथम अधिनियम) बिहार राज्य में किसी वक्फ या, यथास्थिति, धार्मिक न्यास पर लागू'' शब्द और अंक **प्रतिस्थापित** किये जाएंगे।

(5) इस अधिनियम में यथापरिभाषित इस राज्य में किसी **धार्मिक न्यास पर धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 (1863 का 20)** और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), की धारा 92 लागू नहीं होंगे।

अध्याय 2

पर्षद् का गठन

5. पर्षद् का गठन और समावेशन.—(1) इस अधिनियम के लागू होने के बाद यथासंभव शीघ्र [2][राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए एक पर्षद् की स्थापना का जाएगी जिसे बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् कहा जाएगा और जो जैन धार्मिक न्यास को छोड़कर अन्य धार्मिक न्यासों से सम्बन्धित इस अधिनियम द्वारा सौंपे गये कृत्यों का निर्वहन करेगी।

1. अधिनियम सं॰ 16 वर्ष 1951 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम सं॰ 16 वर्ष 1951 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][(2) श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास और दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास से सम्बन्धित इस अधिनियम द्वारा पर्षद् को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रमशः बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद और बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् नामक पर्षदें भी स्थापित की जाएंगी।

(3) पर्षद् यथास्थिति बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् या बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् या बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् नाम से एक निगमित निकाय और अनवरत सिलसिला होगी और इसे एक सामान्य मुहर होगी और विहित शर्तों और निबन्धनों के अधीन चल और अचल दोनों तरह की सम्पत्तियों को अर्जित और धारित करने तथा ऐसी किसी सम्पत्ति को अंतरित करने की शक्ति होगी और इसी नाम से वाद कर सकेगी या इसके विरुद्ध वाद किया जा सकेगा।

[2][**6. पर्षद् की सदस्य-संख्या.**—बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्, बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् और बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् में से प्रत्येक की अधिकतम सदस्य-संख्या ग्यारह होगी।]

7. प्रथम पर्षद् के अध्यक्ष और सदस्य तथा उनका कार्यकाल।–[बिहार (संशोधन) अधिनियम सं० 5 वर्ष 2013 द्वारा विलोपित।]

8. द्वितीय और पश्चात्वर्ती प्रत्येक पर्षद् के अध्यक्ष और सदस्य तथा उनका कार्यकाल.—
[2][(1) पर्षद के सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल होगा, राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना के जरिए, व्यक्तियों की निम्नांकित कोटियों से, इस प्रकार नियुक्त किये जाएंगे कि उक्त कोटियों के प्रत्येक से कम-से-कम एक व्यक्ति नियुक्त किया जाए।

(क) राज्य विधानमंडल के हिन्दू सदस्य और/या राज्य के प्रतिनिधित्व करनेवाले हिन्दू संसद्-सदस्य;

(ख) व्यक्ति, जो बिहार सिविल सेवा (कार्यपालिका या न्यायपालिका शाखा) के सदस्य अथवा बिहार उच्च न्याय-पालिका सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं या रह चुके हैं,

(ग) हिन्दू धार्मिक न्यासों से हितबद्ध राज्य के साधु;

(घ) व्यक्ति जिनको प्रबन्धन-नियंत्रण में अभिरुचि हो और ख्याति प्राप्त धार्मिक न्यासों के प्रबन्ध करने का अनुभव हो और जो हिन्दू धर्म में प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हों;

(ङ) हिन्दू धार्मिक न्यास विधि के संव्यवहारार्थ अनुभव के लिए ख्याति प्राप्त राज्य के अधिवक्ता।

[4][(च) धर्मग्रन्थों के ज्ञाता संस्कृत विद्वान।

(छ) धार्मिक न्यास से सम्बद्ध अनुसूचित जातियों से व्यक्ति।]

[5][(2) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् के सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होगा, राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के निम्नलिखित कोटियों से, इस प्रकार नियुक्त किये जायेंगे कि उक्त कोटियों के प्रत्येक से कम से कम एक व्यक्ति, लेकिन दो से अधिक नहीं, नियुक्त किया जा सकेगा।

---

1. अधिनियम सं० 10 वर्ष 1969 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिनियम सं० 21 वर्ष 1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।
4. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 द्वारा "खण्ड (च) एवं (छ)" अंतःस्थापित।
5. बिहार (संशोधन) अधिनियम सं० 5 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) बिहार राज्य विधान मंडल/संसद सदस्य/नगरपालिका/त्रिस्तरीय पंचायत के श्वेताम्बर जैन समाज के निर्वाचित सदस्य;

(ख) श्वेताम्बर जैन समाज के बिहार सेवा (कार्यपालिका या न्यायिक सेवा या अन्य राजपत्रित सेवा) के सदस्य हैं या रह चुके हैं, अथवा उच्च न्यायिक सेवा या अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं, या रह चुके हैं।

(ग) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास के न्यासी;

(घ) श्वेताम्बर जैन धर्म में प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति जिसको प्रबन्धन-नियंत्रण में अभिरूचि हो और ख्याति प्राप्त श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास के प्रबन्धन का अनुभव हो;

(ङ) श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास विधि के संव्यवहारार्थ अनुभव के लिए प्रसिद्ध राज्य के अधिवक्ता,

(च) श्वेताम्बर जैन धर्म समाज के ख्याति प्राप्त राज्य के व्यवसायी, जो धर्म में रूचि रखते हों; और

(छ) श्वेताम्बर जैन धर्म के बिहार राज्य के लब्धप्रसिद्ध विद्वान।]

(3) द्वितीय और पश्चात्वर्ती प्रत्येक बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् के सदस्यों में–

(क) दो व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे;

(ख) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास के न्यासियों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित चार व्यक्ति होंगे; और

[1][(ग) बिहार राज्य में निवास करनेवाले दिगम्बर जैन समुदाय के सदस्यों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित पांच व्यक्ति होंगे जो तत्समय प्रवृत्त बिहार राज्य की विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक-नामावली में निर्वाचक जैसा सूचीबद्ध होंगे।]

[2][(4) राज्य सरकार यथास्थिति, उप-धारा (1), (2) या (3) के अधीन नियुक्त किये गये सदस्यों में से एक को उस पर्षद का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।]

[2][(5) प्रत्येक पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल इस अधिनियम की धारा-12 के अध्यधीन शासकीय गजट में उनके नाम के प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष का होगा, और इसके अन्तर्गत वह अधिक अवधि भी आएगी जो उक्त पाँच वर्ष की समाप्ति और अगले अनुवर्त्ती पर्षद् की उस पहली बैठक, जिसमें गणपूर्ति मौजूद रहेगी, को तारीख के बीच व्यतीत होगी।]

[2][**8क. प्रशासक की नियुक्ति.**—जब पर्षद् अधिक्रांत हो या पर्षद् के कार्यकाल समाप्त होने तथा धारा-8 के अधीन नई पर्षद् के गठित किये जाने तक, पर्षद् की सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए सरकार एक प्रशासक नियुक्त करेगी।]

9. सदस्यों की निरर्हतायें।– कोई भी व्यक्ति सदस्य के रुप में नियुक्त या निर्वाचित किये जाने योग्य नहीं होगा यदि वह–

(क) हिन्दू नहीं है;

(ख) इक्कीस वर्ष से कम आयु का है;

(ग) अस्वस्थ चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित है;

(घ) दिवालिया न्यायनिर्णीत किये जाने के लिए आवेदन किया है अथवा अनुनमुक्त दिवालिया है;

---

1. अधिनियम सं॰ 62 वर्ष 1952 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. बिहार (संशोधन) अधिनियम सं॰ 5 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ड) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्धदोष है;

(च) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसा आदेश के अधीन है जिसमें वैसी नैतिक अधमता अंतर्लिप्त है जो, राज्य सरकार की राय में, उस पद को धारण करने को अयोग्य करता है;

(छ) किसी पूर्व अवसर पर धारा 14 के अधीन पद से या सक्षम न्यायालय के आदेश से कुप्रबन्धन या भ्रष्टाचार के कारण न्यास के किसी पद से हटाया गया है; या

[1][(ज) वह न्यासी, जिसने न्यास की सम्पत्ति को अपने लाभ के लिए अन्य संक्रामित किया हो];

परन्तु, यह खण्ड धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम पर्षद् के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति पर नहीं लागू होगा।

10. आकस्मिक रिक्तियों को भरना.—यदि कोई सदस्य मृत्यु, पदत्याग, निष्कासन या अन्यथा वजह से अपने पूरा कार्यकाल तक बने रहने में असमर्थ होगा तो इस प्रकार उद्भूत रिक्ति को अन्य व्यक्ति को, [2][xxx] नियुक्ति या निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त [2][xxx] व्यक्ति उस सदस्य की कार्यावधि की अव्यतीत समय तक उक्त रिक्ति को भरे रहेगा जिसके स्थान पर उक्त व्यक्ति को नियुक्त [2][xxx] किया गया है।

11. सदस्यों को निर्वाचित करने में निर्वाचक मंडल की विफलता पर प्रक्रिया.—यदि धारा 8 की, यथास्थिति, उपधारा [3][xxx] (3) के खंड (ख) और (ग) में निर्देशित निर्वाचक-मंडलों में से कोई उस समय के अन्दर, जो राज्य सरकार युक्तिसंगत समझे, उन खंडों में निर्देशित सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने में या कोई आकस्मिक रिक्ति होने पर धारा 10 में उपबंधित तरह से उक्त रिक्ति की पूर्ति करने में विफल होता है तो राज्य सरकार ऐसी रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अर्हता प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्ति कर सकेगी।

12. अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का प्रकाशन.—धारा 7, 8 10 या 11 के अधीन नियुक्त या निर्वाचित अध्यक्ष और हरेक सदस्य के नाम शासकीय गजट में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित करवाए जाएंगे।

13. अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते.—(1) अध्यक्ष या तो पर्षद का वैतनिक या मानद पदाधिकारी होगा जैसा राज्य सरकार पर्षद् के परामर्श से समय-समय पर विनिश्चित करेगी।

(2) जब अध्यक्ष पर्षद् का वैतनिक पदाधिकारी होगा तब उसके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें वैसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा पर्षद् के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किये जाएंगे।

[4][xxx]

(3) सदस्यों का पर्षद् को तथा किसी समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिये और, विहित शर्तों और बंधेजों के अधीन रहते हुए, पर्षद् के कामकाज से सम्बन्धित किसी यात्रा करने के लिए उन दरों से यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते दिये जा सकेंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

14. अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना.—राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी–

1. संशोधन अधिनियम सं० 1, 2007 की धारा 4 द्वारा 'खण्ड (ज)'' प्रतिस्थापित।
2. तत्रैव की धारा 5 द्वारा शब्द ''यथा स्थिति, या निर्वाचित, या निर्वाचित'' द्वारा विलोपित।
3. बिहार (संशोधन) अधिनियम सं० 5 वर्ष 2013 द्वारा शब्द "(1), (2) या'' विलोपित।
4. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 6 द्वारा धारा 13(2) का ''परन्तुक'' विलोपित।

(i) यदि अध्यक्ष या उक्त सदस्य–

(क) धारा 9 में विनिर्दिष्ट अनर्हताओं में से किसी से ग्रस्त है या ग्रस्त हो जाता है; या

(ख) कार्य करने से इनकार करता है कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या इस प्रकार कार्य करता है जिसे राज्य सरकार, उसके द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण की सुनवाई के बाद, धार्मिक न्यास के हित के प्रतिकूल समझे;

(ii) यदि अध्यक्ष पर्षद् की लगातार दो बैठकों में, बिना वैसे किसी कारण के, जो राज्य सरकार की राय में पर्याप्त हो, उपस्थित होने में चूक करे;

(iii) यदि कोई सदस्य पर्षद की लगातार तीन बैठकों में, बिना वैसे किसी कारण के, जो राज्य सरकार की राय में पर्याप्त हो, उपस्थित होने में चूक करे।

अध्याय 3

पर्षद की बैठकें और बैठकों में प्रक्रिया

15. पर्षद् की साधारण बैठकें.—(1) पर्षद् का पटना में [1][या किसी वैसे अन्य स्थान पर, जो राज्य सरकार पर्षद से परामर्श करके अधिसूचना द्वारा नियत करे], कार्यालय होगा और वह कामकाज को निबटाने के लिये प्रत्येक तीन महीनों में कम-से-कम एक बार तथा आवश्यकतानुसार यदा-कदा काम-काज को निबटाने के लिए बैठकें करेगी।

(2) प्रत्येक बैठक अध्यक्ष द्वारा या अध्यक्ष के निर्देशानुसार अधीक्षक द्वारा आयोजित की जाएगी और सदस्यों को बैठक की कम-से-कम दस दिन की नोटिस दी जाएगी।

(3) यदि किसी तिमाही बैठक में कोई शासकीय कामकाज नहीं निबटाना है और यदि किसी सदस्य से तिमाही की समाप्ति के कम-से-कम बीस दिन पहले अध्यक्ष द्वारा ऐसी बैठक में निबटाने के लिए किसी कामकाज सम्बन्धी कोई नोटिस नहीं प्राप्त हो तो अध्यक्ष बैठक बुलाने के बजाय इस बात की सूचना हरेक सदस्य को तिमाही के अंत के कम-से-कम एक सप्ताह पहले दे देगा।

16. विशेष बैठकें.—कम-से-कम पांच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और बैठक में निबटाये जानेवाले कामकाज को विनिर्दिष्ट करने वाली अधियाचना की प्राप्ति पर अध्यक्ष द्वारा पर्षद् की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। यदि अध्यक्ष इस तरह की किसी अधियाचना की प्राप्ति के तीन सप्ताह बाद ऐसी बैठक बुलाने में विफल होगा तो अधियाचना हस्ताक्षरित करनेवाले सदस्य बैठक बुला सकेंगे।

17. बैठक की गणपूर्ति.—[2][(1) बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद्, बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् और बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् में से प्रत्येक की बैठक के लिये गणपूर्ति चार सदस्यों की होगी।]

(2) यदि बैठक के लिए नियत किये गये समय पर या उसके बाद आधा घंटा के भीतर गणपूर्ति नहीं होगी, तो बैठक स्थगित हो जाएगी। अध्यक्ष स्थगित बैठक के लिये एक तारीख नियत करेगा और हरेक सदस्य को उस तारीख की एक सप्ताह की नोटिस दी जाएगी।

18. अध्यक्ष द्वारा बैठकों की अध्यक्षता.—अध्यक्ष पर्षद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिए अपनों में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे।

---

1. अधिनियम सं॰ 7 वर्ष 1953 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिनियम सं॰ 21 वर्ष 1992 द्वारा प्रतिस्थापित।

19. बहुमत द्वारा निर्णय किया जाना.—(1) इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, पर्षद् के समक्ष आनेवाले प्रत्येक विषय का निर्णय बैठक में उपस्थित और मतदान करनेवाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।

(2) समान मतों की दशा में, अध्यक्ष द्वितीय या निर्णायक मत दे सकेगा।

20. कार्यवाही का विवरण.—पर्षद् की सभी बैठकों की कार्यवाहियों का विवरण तत्प्रयोजनार्थ रखी गई बही में प्रविष्ट किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

21. कार्यवृत्त (विवरण) की प्रतिलिपि राज्य सरकार को अग्रसारित किया जाना.—अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के विवरण की एक प्रति तत्काल राज्य सरकार को या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे राज्य सरकार निदेशित करें, अग्रसारित की जाएगी।

22. समितियों की नियुक्ति और ऐसी समितियों के कृत्य.—(1) पर्षद् इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग में या अधिरोपित किये गये कर्त्तव्यों के सम्पादन में सहायता के लिये समितियां नियुक्त कर सकेगी और उन समितियों के कृत्य और प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो पर्षद् का सदस्य नहीं है, ऐसी किसी समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा।

परंतु यह कि किसी ऐसी समिति में ऐसे व्यक्तियों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या को एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।

अध्याय 4

धार्मिक न्यासों का अधीक्षक और पर्षद् के पदाधिकारी और कर्मचारी

23. अधीक्षक की नियुक्ति.—पर्षद, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन, किसी व्यक्ति को धार्मिक न्यासों का अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी:

परंतु यह कि पहला अधीक्षक, जो मात्र चार वर्ष तक पद धारित करेगा लेकिन पुनर्नियुक्ति के लिये अर्हताप्राप्त होगा, की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

24. अधीक्षक की अर्हतायें, वेतन और भत्ते.—(1) कोई भी व्यक्ति, जो हिन्दू नहीं है [1][तथा जिसे कम से कम 15 वर्षों का विधिक या प्रशासनिक अनुभव न हो।], अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये अहर्ताप्राप्त नहीं होगा।

(2) अधीक्षक के वेतन, भत्ते और अन्य सेवाशर्तें पर्षद द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन नियत किये जाएंगे:

परंतु यह कि प्रथम अधीक्षक के वेतन, भत्ते और अन्य सेवाशर्तें पर्षद् द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन नियत किये जाएंगे।

25. अधीक्षक तथा अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य.—(1) पर्षद के अधीक्षक तथा अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी उन शक्तियों का प्रयोग और उन कर्त्तव्यों का अनुपालन करेंगे जो उन्हें, यथास्थिति, पर्षद् या [2][अध्यक्ष] द्वारा समय-समय पर प्रदत्त या सौंपे जाएंगे।

(2) अधीक्षक पर्षद् के समक्ष विचार विमर्श में भाग ले सकेगा लेकिन मत देने का हकदार नहीं होगा।

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिनियम सं० 21 वर्ष 1992 द्वारा अन्तःस्थापित।

26. पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति.—(1) पर्षद् समय-समय पर अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, पदनाम, संवर्ग, वेतनमान और अन्य सेवा-शर्तें निर्धारित कर सकेगी।

(2) ऐसे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने, प्रोन्नत करने और छुट्टी स्वीकृत करने तथा उन्हें पंक्ति से अवनत करने या निलम्बित या बर्खास्त करने और उनकी सेवायें नहीं लेने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी:

परंतु यह कि–

(i) पर्षद् की मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका वेतन-प्रतिमास [1][सात हजार रुपये] या उससे अधिक हो; और

(ii) बिना ऐसी मंजूरी के कोई पदाधिकारी या कर्मचारी, जिसका वेतन [1][पाँच हजार रुपये] प्रति मास से अधिक है, बर्खास्त नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया बर्खास्तगी के किसी आदेश से विक्षुब्ध कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी, यदि उक्त आदेश पर्षद् की मंजूरी के बिना पारित किया गया है, पर्षद् के पास अपील कर सकेगा और उस पर पर्षद् यदि उचित समझे उस आदेश को संपुष्ट, उपांतरित या निरस्त कर सकेगी।

[**अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी, 1993 (बिहार गजट (असाधारण) दिनांक 18.1.1993 में प्रकाशित।**– बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम अधिनियम) की उपविधि सं- 21 में निम्नलिखित संशोधत किया जाता है:–

''पर्षद् हित में, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्षद् कार्यालय के विधि पदाधिकारी के पद को समाप्त किया जाता है।'']

27. उपदान और भविष्य निधि.—(1) पर्षद्, इस प्रयोजन के लिये विशेष रुप से आयोजित की गई बैठक में, या वैसे संकल्प के द्वारा जिसके पक्ष में वैसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई ने मतदान किया हो, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन निम्नलिखित के लिये उपविधियां बना सकेगी–

(क) न्यास निधि से उपदान स्वीकृत करना; या

(ख) भविष्य निधि का सृजन और प्रबन्धन, पदाधिकारियों और कर्मचारियों को उसमें अंशदान वास्ते बाध्य करना, और न्यास निधि से उस अंशदान को बढ़ाना।

(2) पर्षद्, यदि उचित समझे, समय-समय पर उन उपविधियों के अनुसार अपने पदाधिकारियों या कर्मचारियों में से किसी को न्यासनिधि से उपदान और उक्त भविष्य निधि से भत्ते स्वीकृत कर सकेगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में ''पदाधिकारियों और कर्मचारियों'' अभिव्यक्ति के अंतर्गत अधीक्षक है, लेकिन इसके अंतर्गत अध्यक्ष नहीं है।

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 5

पर्षद् की शक्तियां और कार्य

28. पर्षद् की साधारण शक्तियां और कार्य.—(1) राज्य में सभी धार्मिक न्यासों का साधारण अधीक्षण पर्षद् में निहित होगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि ये न्यास समुचित तरह से पर्यवेक्षित और प्रशासित किये जाते हैं और इनकी आय इन न्यासों के उन उद्देश्यों के प्रति और उन प्रयोजनों के अनुसार जहां तक उद्देश्यों और प्रयोजनों को विनिश्चित किया जा सके, सम्यक् तरह से उपयोजित और व्ययित की जाती है जिनके लिये इन न्यासों की स्थापना की गई थी या जिनके लिए ये विद्यमान हैं और-इसके लिए पर्षद् सभी समुचित और आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(2) उप धारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पर्षद् की शक्तियां और कार्य निम्न होंगे–

(क) बिहार राज्य में विभिन्न तरह के धार्मिक न्यासों की उत्पत्ति, प्रकृति, विस्तार, आय (यदि हो), उद्देश्य और लाभार्थियों से सम्बन्धित पूरी जानकारियां समाविष्ट करनेवाला एक सम्पूर्ण अभिलेख तैयार और संधारित करना;

(ख) किसी धार्मिक न्यास का सृजन करने वाले सभी दस्तावेजों की सही प्रतियां समाविष्ट करती हुई पंजी तैयार और संधारित करना;

(ग) बजट तैयार और व्यवस्थित करना और उसकी प्रति राज्य सरकार को या उस प्राधिकारी को देना जिसे राज्य सरकार निदेशित करे;

(घ) किसी धार्मिक न्यास की खोई हुई सम्पत्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए उपाय करना;

(ङ) किसी धार्मिक न्यास की, लेखा, सहित, सम्पत्ति और कार्यालय का निरीक्षण करवाना और उसके अधीक्षक या किसी सदस्य, पदाधिकारी या कर्मचारी को उस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करना;

(च) समय-समय पर न्यासियों से जानकारी, विवरणी और अन्य दस्तावेज मांगना;

(छ) ऐसे न्यास को शासित करनेवाली विधि और संस्थापक की अभिलाषा, जिस सीमा तक वैसी अभिलाषा, विनिश्चित की जा सके और उक्त विधि की विरोधी न हो, के अनुसार धार्मिक न्यास के उचित प्रशासन के लिये निर्देश देना;

(ज) न्यासी को पद से हटाना यदि उक्त न्यासी–

(i) किसी वैसे अपराध के लिये सिद्धदोष होता है या दंड न्यायालय द्वारा वैसे किसी आदेश के अधीन कर लिया जाता है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्निहित है, जो पर्षद् की राय में उसे पदधारण का अयोग्य करता हो;

(ii) इस अधिनियम के तहत एक से अधिक बार एक जैसा ही अपराध या भिन्न-भिन्न अपराधों के लिये सिद्धदोष हुआ है;

(iii) कार्य करने से इनकार करता हो या इस अधिनियम के तहत पर्षद् के निर्देशों और आदेशों का मंशापूर्वक नहीं पालन करता हो; या

(iv) दिवालिया न्यायनिर्णयन के लिये आवेदन करता हो या दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो;

[1][(v) यदि बजट, लेखा, रिपोर्ट या विवरणी प्रस्तुत करने में वह अंशदान या पर्षद् को भुगतेय अन्य देयकों के भुगतान में लगातार व्यतिक्रम करता हो;

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित।

(vi) इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए न्यास की अचल सम्पत्ति का अन्य संक्रामण करता हो या न्यास की निधि का दुर्विनियोग करता हो।

(vii) धर्मशास्त्र द्वारा अस्वीकृत अनैतिक कार्यों में संलिप्त हो या अपने सम्प्रदाय की मर्यादा का उल्लंघन किया हो।]

(झ) न्यासी के हाथ पर रहे धार्मिक न्यास के धर्मदाधन को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में जमा करने का निदेश देना;

(ञ) न्यासी अथवा धार्मिक न्यास से हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर, उक्त न्यास की किसी सम्पत्ति का अन्य सम्पत्ति में परिवर्तन की मंजूरी देना, यदि पर्षद् इस बात से आश्वस्त हो कि इस तरह का परिवर्तन उक्त न्यास के लिए लाभकर होगा;

परंतु यह कि, इस तरह के किसी परिवर्तन की मंजूरी तबतक नहीं दी जायेगी जबतक पर्षद् अपने सदस्यों की कम-से-कम तीन चौथाई के बहुमत से ऐसा संकल्प न लें और जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित न हो;

(ट) राज्य सरकार के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए न्यास निधि को नियंत्रित और प्रशासित करना;

(ठ) अपने आय-व्यय का सही और नियमित लेखा रखना और उसे लेखा-परीक्षण के लिये समर्पित करना।

(ड) राज्य सरकार को या उस किसी पदाधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, वैसा कोई विवरण, रिपोर्ट, विवरणी या अन्य दस्तावेज और कोई जानकारी देना जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या उक्त पदाधिकारी के लिए प्राप्त करना आवश्यक हो, तथा राज्य सरकार को पर्षद् की गतिविधियों के विस्तृत विवरणयुक्त वार्षिक रिपोर्ट देना;

(ढ) जब कभी उसे उचित प्रतीत हो, धार्मिक न्यास के प्रशासन के सम्बन्ध में जांच बैठाना;

(ण) धार्मिक न्यास के किसी न्यासी को पर्षद् द्वारा नियत किये जानेवाले समय के भीतर न्यायालय में उक्त न्यास या उससे सम्बद्ध किसी विषय के लिये तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार वैसा कोई वाद या कार्यवाही, जिसे संस्थित करने का वह हकदार है, संस्थित करने का निदेश देना और उक्त न्यासी द्वारा वैसा नहीं किये जाने पर स्वयं वैसा वाद या कार्यवाही संस्थित करना;

(त) धार्मिक न्यास या तत्सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में संस्थित किसी वाद या कार्यवाही को न्यासी की ओर से या उसके अतिरिक्त बचाव करना, अथवा उन मामलों में, जिनमें न्यासी नहीं हो या न्यासी पद पर उत्तराधिकार विवादित हो, वैसे किसी वाद या कार्यवाही का स्वयं बचाव करना;

(थ) धार्मिक न्यास के न्यासी को किसी अचल सम्पत्ति में उक्त न्यास के अधिकार, स्वत्व या हित को खतियान या नगरपालिका-अभिलेखों में प्रविष्ट कराने के लिए उपयुक्त पदाधिकारी या प्राधिकारी को आवेदन करने का निदेश देना और उक्त न्यासी द्वारा युक्तियुक्त समय के अन्दर ऐसा नहीं किये जाने पर, स्वयं वैसा आवेदन करना;

(द) विहित रीति से और विहित स्थितियों के अंतर्गत रहते हुए, किसी धार्मिक न्यास की आय से उक्त न्यास के विषय में खंड (ण) के अधीन स्वयं द्वारा संस्थित किसी वाद या कार्यवाही में खंड (त) के अधीन किसी वाद या कार्यवाही के बचाव में, या खंड (थ) के अधीन किसी आवेदन को तैयार करने और अग्रसारित करने में पर्षद् द्वारा किये गये खर्च को वसूल करना;

(ध) न्यासी को अपने पद से सेवा-निवृत्त होने के लिये अनुमति देना, और यदि न्यासी को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करने की शक्ति है तो उसे जीवनकाल में वैसी नियुक्ति करने की अनुमति देना; और [1][धारा 28(2) (ज) के अन्तर्गत हटाए गये न्यासियों की रिक्तियां पर संस्थापक की इच्छा या सक्षम न्यायालय द्वारा अनुमोदित पर्षद और न्यास के आपसी गुलतनामा के अध्यधीन नियुक्ति कराना।]

(न) इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन पर्षद् के समक्ष कोई काम या चीज जिस अवधि के भीतर किया जाना अपेक्षित या आदिष्ट है उस अवधि को पर्याप्त कारण होने पर बढ़ाना।

[2][(प) ऐसे सभी विवादों में इस अधिनियम की धारा-2 (ठ) के अधीन परिभाषा के अनुसार निर्णय लेना कि क्या कोई अन्य सार्वजनिक न्यास है या निजी और पर्षद् का यह आदेश तबतक लागू रहेगा, जबतक कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त न कर दिया जाए।]

[3][(3) उपधारा (2), खण्ड (ज) के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित न्यासी को उसे हटाए जाने के प्रस्ताव का आधार संसूचित करते हुए पर्षद् नोटिस जारी करेगी और उसे उत्तर देने का समुचित समय दिया जाएगा। आदेश करने के पूर्व पर्षद् उसके उत्तर पर विचार करेगी, यदि वह अपेक्षित समय के भीतर प्रस्तुत किया गया हो, तथा धारा-28(2) (ज) (vii) के अधीन हटाए जाने की दशा में, किसी ऐसे धर्माचार्य की राय लेगी जो उस पंथ के सिद्धान्तों के अच्छे जानकार हों। हटाए जाने का आदेश न्यासी द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद वह, ऐसे आदेश में संसूचना के नब्बे दिनों के भीतर, ऐसे आदेश में फेरबदल, उपांतरण या इसे अपास्त करने के लिए जिला न्यायाधीश के पास आवेदन कर सकेगा।]

1 संशोधन अधिनियम सं० 1, 2007 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित।

2. तत्रैव ''खण्ड (ज)'' अंत:स्थापित।

3. तत्रैव ''उपधारा (3)'' प्रतिस्थापित।

29. समिति या संघ जिसमें किसी धार्मिक न्यास का पर्यवेक्षण निहित हो वह पर्षद के अधीन कार्य करेगी या करेगा.—(1) जहां किसी धार्मिक न्यास का पर्यवेक्षण संस्थापक द्वारा या सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या संघ में निहित हो, वहां उक्त समिति या संघ तबतक पर्षद् के सामान्य अधीक्षण या नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी या करेगा जबतक वह पर्षद् द्वारा उपधारा (2) के अधीन अवक्रमित नहीं कर दिया जाए।

(2) पर्षद् उपधारा (1) में निर्देशित किसी समिति या संघ को, जो पर्षद् की राय में अपने कार्यों का संतोषजनक ढंग से नहीं निष्पादन कर रही है, या कर रहा है अवक्रमित कर सकेगी, और यदि पर्षद् ऐसा करती है तो न्यायालय या प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति या आदेश, जिसके द्वारा उक्त समिति या संघ गठित की गई थी या किया गया था, तदनुसार उपांतरित समझा जाएगा:

परंतु, इस उपधारा के तहत कोई आदेश करने के पहले, पर्षद, सम्बद्ध समिति या संघ को उन आधारों को संसूचित करेगी जिन पर वह उसे अवक्रमित करना प्रस्तावित करती है, तथा उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध समिति या संघ द्वारा वजह बताने के लिए और उसके स्पष्टीकरण और आपत्तियाँ यदि हों, पर विचार करने के लिए समुचित समय निर्धारित करेगी।

(3) उक्त समिति या संघ या धार्मिक न्यास से हितबद्ध कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन पर्षद् द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के तीस दिन के भीतर उक्त आदेश को परिवर्तित, उपांतरित या निरस्त करने के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा, लेकिन किसी ऐसे आवेदन पर जिला न्यायाधीश के निर्णय के अधीन रहते हुए पर्षद् का उक्त आदेश अंतिम होगा और आवेदक तथा उक्त न्यास से हितबद्ध हरेक व्यक्ति के लिये आवद्धकर होगा।

[1][(4) जहां ऐसी समिति या संघ उपधारा (2) के अधीन अवक्रमित कर दी गई हो या कर दिया गया हो, वहां पर्षद् सम्बद्ध धार्मिक न्यास के प्रशासन के लिये यथावश्यक व्यवस्था कर सकेगी।]

30. जहां धार्मिक न्यास के उद्देश्य का अस्तित्व समाप्त हो जाय या प्राप्त करना असंभव हो जाय वहां उक्त धार्मिक न्यास की निधि, सम्पत्ति और आय का उपयोग करने के लिए उद्देश्यों के विनिश्चयन की शक्ति.—(1) जब धार्मिक न्यास के किसी उद्देश्य या अस्तित्व समाप्त हो गया हो या पर्षद् की राय में उसकी प्राप्ति असंभव हो गई हो, तब पर्षद्, अपने स्वयं के प्रस्ताव से या किसी हिन्दू के आवेदन पर, उक्त न्यास के न्यासी को और उस किसी अन्य व्यक्ति को, जो पर्षद् को हितबद्ध प्रतीत हो, विहित रीति से नोटिस जारी करने के बाद और ऐसी किसी जांच करने के बाद जो उसे उचित लगे, उन उद्देश्यों को (जो अस्तित्वरहित या अप्राप्य हुए उद्देश्यों के समान या यथासंभव समान और व्यवहार्य हों) निर्धारित करेगी जिनपर उक्त न्यास की निधि, सम्पत्ति या आय अथवा उस निधि, सम्पत्ति या आय का उतना जितना पहले उन उद्देश्यों पर खर्च या प्रयोग किया जाता था जो अब अस्तित्व में नहीं हैं या जो अप्राप्य हो चुके हैं, लगाये जाएंगे।

(2) आवेदक या धार्मिक न्यास का न्यासी या उससे हितबद्ध कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन पारित किये गये किसी आदेश के नब्बे दिन के अन्दर, उक्त आदेश को परिवर्तित, उपांतरित या निरस्त करने के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा, लेकिन वैसे किसी आवेदन पर जिला न्यायाधीश के निर्णय के अधीन रहते हुए पर्षद् का आदेश अंतिम होगा और आवेदक और उक्त न्यास से हितबद्ध हरेक व्यक्ति के लिये आबद्धकर होगा।

31. संविदा करने की शक्ति और संविदा के कार्यान्वयन का तरीका.—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पर्षद् वैसी संविदाओं में प्रवेश कर सकेगी जिनको वह इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक या समीचीन समझेगी।

(2) पर्षद् की ओर से निष्पादित की गई प्रत्येक वैसी संविदा जिसका मूल्य या राशि [2][पांच हजार रुपये] से अधिक होगी, लिखित होगी, पर्षद् के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और सामान्य मुहर से मुद्रांकित होगी। संविदायें, जिनका मूल्य या राशि [2][पांच हजार रुपये] या उससे कम होगी, लिखित होंगी और अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होंगी।

(3) यदि पर्षद् की ओर से कोई संविदा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार से भिन्न प्रकार में निष्पादित की जाती है तो वह पर्षद् के अनुरोध पर शुन्यकरणीय होगी।

32. धार्मिक न्यासों के उचित प्रशासन के लिए स्कीम बनाने की पर्षद की शक्ति.—(1) पर्षद्, अपने प्रस्ताव से या किसी न्यास से हितबद्ध दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा इस निमित्त आवेदन किये जाने पर—

(क) ऐसे धार्मिक न्यास के लिए, जैसी वह यथोचित समझे, वैसी जांच करने के बाद और उक्त न्यास के न्यासी को और उस किसी अन्य व्यक्ति को, जो पर्षद् की समझ में, हितबद्ध प्रतीत हो, नोटिस देने के बाद स्कीम बना सकेगी;

---

1. अधिनियम सं० 16, 1951 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) उसी पद्धति से और उन्हीं शर्तों के अध्यधीन इस धारा के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन निर्मित किसी स्कीम को उपांतरित कर सकेगी या उसके स्थान पर दूसरी स्कीम प्रतिस्थापित कर सकेगी:

परंतु यह कि, इस प्रकार बनाई गई, उपांतरित, या प्रतिस्थापित कोई भी स्कीम न्यास को शासित करनेवाली विधि के अनुसार होगी और यथासंभव जहां तक संस्थापक की इच्छाओं का विनिश्चयन किया जा सकेगा, उन इच्छाओं के विरुद्ध नहीं होगी,

[1][और इसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान अन्तर्विष्ट हो सकेंगे:-

(क) धार्मिक न्यास के सम्पूर्ण प्रशासन या उसके किसी भाग में सहायता करने के प्रयोजनार्थ एक समिति गठित करना, जिसमें 11 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।

(ख) ऐसी समिति की शक्तियों और कर्तव्यों को अवधारित करना; और

(ग) ऐसी स्कीम के बनाने एवं उसके कार्य से आनुषंगिक कोई अन्य सुसंगत विषय।]

(2) इस धारा के अधीन निर्मित, उपांतरित या किसी अन्य स्कीम के लिये प्रतिस्थापित, कोई भी स्कीम, जबतक उपधारा (3) के अधीन किये गये किसी आवेदन पर जिला न्यायाधीश द्वारा अन्यथा आदेशित नहीं हो, पर्षद् द्वारा इस निमित्त नियत किये गये दिन को अमल में आ जाएगी और शासकीय गजट में प्रकाशित की जाएगी।

(3) ऐसे न्यास का न्यासी या इससे हितबद्ध कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, इस प्रकार निर्मित, उपांतरित या अन्य स्कीम के स्थान पर प्रतिस्थापित स्कीम के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से तीन महीनों के अन्दर उस स्कीम को परिवर्तित, उपांतरित या निरस्त करने के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा; किंतु इस तरह के आवेदन के परिणाम के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) और (2) के अधीन पर्षद् का आदेश अंतिम होगा और धार्मिक न्यास के न्यासी के लिए और उक्त धार्मिक न्यास से हितबद्ध हरेक व्यक्ति के लिये आबद्धकर होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किये गये किसी आवेदन पर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

33. अस्थाई न्यासी नियुक्त करने की शक्ति.—(1) जहां धार्मिक न्यास में न्यासी का पद रिक्त हो और उक्त न्यास के विलेख की शर्तों के अनुसार न्यासी के पद पर नियुक्त होने वास्ते कोई सक्षम व्यक्ति नहीं हो या जहां न्यासी की हैसियत से कार्य करने के अधिकार के सम्बन्ध में कोई जायज विवाद हो और पर्षद् की राय में उक्त न्यास की सम्पति के प्रबन्धन में गंभीर हस्तक्षेप या शांतिभंग की संभावना हो, [1][या जहां इस अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन पारित किये गये पर्षद् के आदेश के द्वारा रिक्त हुई हो], वहां पर्षद्, सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति को [1][एक वर्ष से अनधिक] उस अवधि के लिये और उन शर्तों पर जिसे वह उचित समझे, उक्त न्यास का न्यासी की हैसियत से कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यासी के पद पर नियुक्ति में, पर्षद् यथासंभव उस वर्ग के किसी व्यक्ति को चुनेगी जिस वर्ग का अंतिम न्यासी था।

[2][(3) यदि सक्षम प्राधिकार के द्वारा वास्तविक न्यासी से सम्बन्धित विवाद का विनिश्चय एक वर्ष की अवधि में नहीं होता हो तो पर्षद् अधिनियम की धारा-32 के अधीन न्यास के लिए एक स्कीम तय कर देगी जो सक्षम न्यायालय के पश्चात्वर्ती आदेश के अध्यधीन होगी।]

34. [3]**[धार्मिक न्यासों का पंजीकरण और पंजियों का संधारण].**—(1) [4][सभी धार्मिक न्यास पर्षद में पंजीकृत होंगे और] पर्षद, वैसे फारम में जो वह ठीक समझे, राज्य के अन्दर के सभी धार्मिक न्यासों की पंजीयां संधारित करेगी।

(2) उक्त पंजी में पर्षद्, अपने अनुभूति से या किसी हिन्दू द्वारा आवेदन पर, वैसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, प्रविष्टियां कर सकेगी।

(3) कोई भी हिन्दू, वैसा शुल्क अदा करके, जो पर्षद् द्वारा नियत किया जाएगा, पंजी का निरीक्षण कर सकेगा।

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 12 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 द्वारा उपधारा (3) अन्तःस्थापित।
3. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 13 द्वारा "धारा 34 का शीर्षक" प्रतिस्थापित।
4. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 13 द्वारा अन्तःस्थापित।

35. प्रतिलिपि देने और वैसी प्रतिलिपि को प्रमाणित करने की शक्ति.—(1) पर्षद्, वैसे शुल्क के भुगतान पर और वैसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह निर्धारित करेगी, अपनी कार्यवाहियों और अपने कब्जा में रहनेवाले अभिलेख और किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि दे सकेगी।

(2) ऐसी प्रतिलिपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 में उपबंधित रीति से प्रमाणित की जा सकेगी।

36. पर्षद् की, धार्मिक न्यास की ओर से, कुछेक अदायगियां करने की शक्ति.—(1) जहां कोई न्यासी, धार्मिक न्यास से सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय कोई भू राजस्व, उपकर, लगान, उपशुल्क या कर देने से इनकार करे या विफल हो, वहां पर्षद् स्वयं न्यास-निधि से उन प्रभारों की अदायगी कर सकेगी और इस प्रकार अदा की गई राशि सम्बन्धित न्यास की सम्पत्ति से वसूल कर सकेगी, और यदि पर्षद् की राय में उक्त न्यासी की इनकारी या विफलता नीयतपूर्ण पाई जाएगी तो पर्षद् इस तरह की इनकारी या विफलता के लिये उत्तरदायी न्यासी की वैयक्तिक सम्पत्ति से इस तरह अदा की गई राशि के साढ़े बारह प्रतिशत की दर से हर्जाना भी वसूल कर सकेगी:

परंतु यह कि, इस उपधारा के तहत हर्जाना वसूल करने के पर्षद् के निर्णय से व्यथित न्यासी आदेश को निरस्त या रुपांतरित करवाने के लिये जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा, और उस आवेदन पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा।

(2) धारा 70 की उपधारा (4) में उपबंधित प्रक्रिया, पर्षद् द्वारा उस किसी राशि की वसूली को लागू होगी जो पर्षद् उपधारा (1) के तहत धार्मिक न्यास या न्यासी से वसूलने को शक्ति प्राप्त है।

37. धन उधार लेने की पर्षद् की शक्ति.—(1) पर्षद्, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए वैसी राशि, वैसी शर्तों पर उधार ले सकेगी जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

38. अध्यक्ष द्वारा पर्षद् की शक्तियों का प्रयोग।– यदि पर्षद् द्वारा अविलम्ब कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता उत्पन्न हो जाए और वैसी कार्रवाई करने के लिए समय पर पर्षद् की बैठक की व्यवस्था न की जा सके, तो अध्यक्ष उस किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो पर्षद् द्वारा इस अधिनियम के तहत प्रयोग किया जा सकेगा, लेकिन वह पर्षद् की आगामी बैठक में, की गई कार्रवाई की सम्पुष्टि के लिए इस धारा के तहत उसके द्वारा की गई कार्रवाई और कार्रवाई करने के लिये कारणों की लिखित रिपोर्ट पेश करेगा। [1][और अध्यक्ष की ऐसी कोई कार्रवाई, जो न्यास की अगली बैठक में संपुष्ट कर ली जाये, केवल इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि अध्यक्ष को न्यास की ओर से ऐसी कोई शक्ति नहीं थी।]

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 14 द्वारा अन्तःस्थापित।

39. पर्षद् की शक्तियों का प्रत्यायोजन.—पर्षद् इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियां और कार्यों में से किसी को उस किसी विशेष परिस्थिति में प्रयोग और निष्पादन करने के लिये अध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेगी जो पर्षद् विनिर्दिष्ट करेगी, और उसी तरह वह किसी वैसे प्रत्यायोजन को वापस ले सकेगी।

अध्याय 6

क्षेत्रीय न्यास समितियां

40. क्षेत्रीय न्यास समिति.—(1) पर्षद् उस इलाका के लिए, जो वह आवश्यक समझे, एक क्षेत्रीय न्यास समिति स्थापित कर सकेगी।

(2) प्रत्येक वैसी समिति पर्षद् द्वारा नियुक्त सदस्यों की उस संख्या की होगी जो पर्षद् समय-समय पर निर्धारित करेगी;

[संशोधन अधिनियम सं॰ 1 वर्ष 2007 की धारा 15 द्वारा ''धारा 40 की उपधारा (2) का परन्तुक'' विलोपित।]

(3) ऐसी प्रत्येक समिति के सभी सदस्य हिन्दू होंगे और साधारणत: उस इलाका के निवासी होंगे, जिसके लिये उक्त समिति स्थापित की गई है:

परन्तु, इस तरह की समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति अर्हता प्राप्त नहीं होगा यदि वह धारा 9 में निर्दिशित अनर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो।

(4) उक्त समिति के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए बैठक की गणपूर्ति, उक्त समिति की कुल सदस्य-संख्या की कम-से-कम आधी होगी।

(5) पर्षद्, वैसी प्रत्येक समिति के सदस्यों में से एक को, उसका मंत्री नियुक्त करेगी।

(6) ऐसी समिति के सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष तक पद धारित करेंगे।

(7) ऐसी समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्ति पर्षद् द्वारा भरी जा सकेगी और उस अवधि तक के लिए जिस तक रिक्त है।

41. क्षेत्रीय न्यास समिति के कार्यसंचालन की प्रक्रिया, कर्मचारी, आदि का निर्धारण पर्षद् करेगी.—क्षेत्रीय न्यास समिति के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया, उक्त समिति के लिये अपेक्षित कर्मचारी, उन कर्मचारियों की सेवाशर्तें, उक्त समिति के कार्य के लिये बैठक में उपस्थित होने और उस सम्बन्ध में यात्रा करने के लिये उक्त समिति के सदस्यों को दिये जानेवाले यात्रा तथा अन्य भत्ते, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन पर्षद् द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

42. क्षेत्रीय न्यास समिति की शक्तियां और कार्य.—प्रत्येक क्षेत्रीय न्यास समिति को, पर्षद् के नियंत्रण और निदेशन के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे, अर्थात्:

(क) उस इलाका, जिसके लिये उक्त समिति स्थापित की गई है, में स्थित कोई धार्मिक न्यास किस प्रकार प्रशासित किया जा रहा है—इस सम्बन्ध में जांच करना और पर्षद् को रिपोर्ट देना;

(ख) उक्त इलाका में स्थित धार्मिक न्यास के सम्बन्ध में उन विषयों पर पर्षद् को वैसी जानकारी देना जैसी वह अपेक्षा करे; और

(ग) सामान्यत: इस अधिनियम के उपबंधों से अनुरूप वैसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना जैसे इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए पर्षद् द्वारा उसे सौंपे जायें।

अध्याय 7

धार्मिक न्यास की अचल सम्पत्तियों को न्यास की सम्पत्ति घोषित करना

[1][43. न्यायाधिकरण का गठन, उसकी शक्तियाँ और कार्य।–(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की धारा-43 (ख) के तहत सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिए एवं 43 (ग) के अधीन किसी विनिश्चय के लिए और इस अधिनियम की धारा 43घ, 43ङ और 43च के अधीन न्यास-सम्पत्ति पर से अधिक्रमण हटाने के लिए और धारा-44 के अधीन अंतरित अचल सम्पत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए तथा धारा-72 के अधीन रिसीवर नियुक्त करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन करेगी।

(2) न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश होंगे। न्यायाधिकरण के न्यायाधीश की पदावधि पाँच वर्षों की या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगी।

(3) न्यायाधिकरण के न्यायाधीश और अन्य कर्मचारियों की सेवाशर्तें वही होंगी, जो सरकार के द्वारा विहित की जाए।

(4) न्यायाधिकरण को वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 5, 1908) के अधीन किसी वाद के विचारण या किसी डिक्री या आदेश को कार्यान्वित करने के लिए व्यवहार न्यायालय में निहित हों।

(5) न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के विरूद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किए जाने के लिए आशयित किसी प्रकार की क्षति या किसी प्रकार की संभावित क्षति के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

43क. आवेदन करने की प्रक्रिया.—(1) पर्षद् या पर्षद् की अनुमति से कोई धार्मिक न्यास या कोई दो व्यक्ति जो किसी विशेष न्यास के क्रिया-कलापों से हितबद्ध हों, पर्षद् से अनुमति प्राप्त कर अन्यसंक्रांत सम्पत्ति की वापसी के लिए या अधिक्रमण हटाने के लिए या किसी अधिनियम के उपबंध के अधीन सम्पत्ति विवाद में निर्णय के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेगा;

परन्तु, यदि पर्षद् आवेदन प्राप्ति के 8 सप्ताह के अन्दर अनुमति के विषय पर निर्णय लेने में विफल रहती है तो अनुमति स्वीकृत मानी जाएगी।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण विहित प्रक्रिया के अनुसार एक संक्षिप्त जाँच करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा।

(3) न्यायाधिकरण के आदेश का निष्पादन जिला प्रशासन के माध्यम से कराया जाएगा, जो न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन करेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित होने पर कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 90 दिनों के अन्दर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

---

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 16 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][43ख. सम्पत्ति विवादों का निर्णय.—न्यायाधिकरण निम्नलिखित सम्पत्ति विवादों का निपटारा करेगा–

(i) कोई अचल सम्पत्ति किसी विशेष न्यास की सम्पत्ति है या नहीं।

(ii) महंत, सेवैत, पुजारी या न्यासी द्वारा दावाकृत सम्पत्ति विशेष उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति है या मन्दिर या मठ की सम्पत्ति है।

स्पष्टीकरण.—(क) यदि कोई महंत, सेवैत, पुजारी या न्यासी किसी सम्पत्ति विशेष के बारे में दावा करता हो कि यह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति है तो यह प्रमाणित करने का दायित्व उसी पर होगा कि उसने सम्पत्ति को किस प्रकार अर्जित किया और क्या उसने ऐसी सम्पत्ति को अर्जित करने के पश्चात् सम्बद्ध प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी थी:

(ख) कोई पौराणिक मन्दिर या मठ जिसे सदियों से पवित्र समझा गया है या किसी सम्प्रदाय विशेष की गद्दी (पीठ) जो पीढ़ी दर पीढ़ी अस्तित्व में रही हो उसकी अचल सम्पत्ति उस पौराणिक मन्दिर/मठ या उस समुदाय की सम्पत्ति होगी भले ही वह न्यासी के नाम में दाखिल खारिज किया हुआ हो, बशर्ते कि यह सिद्ध न कर दिया जाता हो कि उसने इसे अपनी निजी आय के ज्ञात स्रोत से अर्जित किया था।]

[1][43ग. न्यायाधिकरण द्वारा धार्मिक न्यास के किसी विधिक पहलू पर विनिश्चय।–** न्यायाधिकरण, पर्षद् से कोई अर्जी प्राप्त होने पर, किसी मामले के अभिलेखों का परीक्षण कर सकेगा तथा विहित प्रक्रिया के अनुसार न्यास के किसी विधिक पहलू पर समुचित विनिश्चय कर सकेगा।]

[1][43घ. न्यास की सम्पत्ति से अधिक्रमण हटाना.—(1) पर्षद् की अनुमति से कोई न्यासी या न्यास के धार्मिक कार्यों से हितबद्ध कोई दो व्यक्ति अधिक्रमण हटाने के लिए न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए ''अधिक्रमणकर्त्ता'' अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो अनधिकृत रूप से किसी जमीन, भवन, दुकान, तालाब और कुआँ या अन्य किसी सम्पत्ति पर दखल किए हुए है और इसमें शामिल है–

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी जिसे न्यास की किसी सम्पत्ति को पट्टा या रेहन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्ति हो, की स्वीकृति के बिना सम्पत्ति को दखल किये हुए हो, और

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो पट्टा, रेहन, या अनुज्ञप्ति के अवसान या उसकी समाप्ति या उसे रद्द किए जाने के बाद भी सम्पत्ति पर कब्जा जमाये हुए हो।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण द्वारा प्रथम दृष्ट्या अधिक्रमण की स्थिति पायी जाती हो, वहाँ अधिक्रमण की विशिष्टयों को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिक्रमणकर्ता को नोटिस तामील कराएगा और उससे निश्चित तारीख से पूर्व कारणपृच्छा की जाएगी कि नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उसने अधिक्रमण हटाने की अपेक्षा का आदेश क्यों नहीं पारित किया जाये। नोटिस की प्रति धार्मिक संस्था के न्यासियों या सम्बद्ध धर्मदाय को भी भेजी जाएगी।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस यथाविहित रीति से तामील की जाएगी।

(4) जहाँ उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस विनिर्दिष्ट अवधि में अधिक्रमणकर्ता से प्राप्त आपत्तियाँ, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरांत और यथाविहित जाँच करने के बाद यदि न्यायाधिकरण का समाधान

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 16 द्वारा अन्तःस्थापित।

हो जाता हो कि अधिक्रमण हुआ है वहाँ वह, आदेश द्वारा और अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व अधिक्रमणकर्ता से अधिक्रमण हटा लेने तथा अधिक्रमित संपत्ति (भूमि, भवन या स्थान) का कब्जा न्यासी को देने की अपेक्षा करेगा।

(5) कार्रवाई लंबित रहने के दौरान न्यायाधिकरण, प्रश्नगत संपत्ति के उपयोग और अधिभोग के फलस्वरूप, यथानिर्दिष्ट राशि विहित रीति से जमा करने का आदेश अधिक्रमणकर्ता को देगा।]

[1][**43ङ. अतिक्रमण को न्यायाधिकरण द्वारा यथानिदेशित रूप में हटाये जाने में विफल रहने पर बेदखल करने की विधि.**—(1) जहाँ धारा-43घ की उपधारा (4) के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अधिक्रमणकर्ता ने अधिक्रमण नहीं हटाया हो और सम्पत्ति को खाली नहीं कर दिया हो वहाँ न्यायाधिकरण अधिक्रमित सम्पत्ति पर से अधिक्रमण हटाने और सम्पत्ति को कब्जा में लेने का आदेश पारित करेगा। न्यायाधिकरण के आदेश का कार्यान्वयन, यथावश्यक आरक्षी बल की सहायता लेकर किया जाएगा। जिस किसी आरक्षी पदाधिकारी, जिसकी सहायता की अपेक्षा इस प्रयोजनार्थ की जाए, वह न्यायाधिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई भी बात, न्यायाधिकरण की धारा-43घ की उपधारा (4) में पारित आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को यह साबित करने के लिए, न्यायालय में वाद दायर करने से निवारित नहीं करेगी कि सम्पत्ति पर धार्मिक संस्था या धर्मदाय का कोई हक नहीं है;

परन्तु धारा-43घ की उपधारा (4) के अधीन किए गये आदेश की प्राप्ति की तिथि के छह महीने बाद संस्थित किसी वाद का संज्ञान किसी व्यवहार न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाएगा;

परन्तु यह और कि वैसे व्यक्ति द्वारा, जो धार्मिक संस्थान या धर्मदाय का किरायेदार हो या पट्टाधारी हो, अनुज्ञप्तिधारी हो या रेहनदार हो, ऐसा कोई स्वत्ववाद संस्थित नहीं किया जाएगा।

(3) धारा-43घ के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा चलाई गई या चलाई जानेवाली किसी कार्यवाही की बावत किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।]

[1][**43च. पूर्त और धार्मिक संस्थानों की भूमि पर किसी व्यक्ति-समूह या समूहों के द्वारा अधिक्रमण और उसकी बेदखली.**—(1) जहाँ न्यायाधिकरण को ऐसी सूचना दी गयी हो और उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यक्ति-समूह या समूहों के द्वारा बिना किसी हकदारिता के और कब्जा करने के सामान्य उद्देश्य से किसी ऐसी भूमि, जो किसी पूर्त या धार्मिक संस्था या धर्मदाय की हो, दखल की जा रही है या दखल की गई है और न्यायाधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के आदेश पर यदि ऐसे व्यक्ति-समूह या समूहों ने भूमि खाली नहीं किया हो, वहाँ इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बिना किसी सूचना के वैसे अधिक्रमणकर्ता को उस जमीन से तुरंत बेदखल करने और भूमि को कब्जा में लेने का आदेश न्यायाधिकरण करेगा। तत्पश्चात् यथावश्यक पुलिस सहायता लेकर इस भूमि से न्यायाधिकरण द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा बलपूर्वक अधिक्रमणकर्ताओं को बेदखल करना और भूमि को कब्जे में लेना विधिपूर्ण होगा। जिस किसी आरक्षी पदाधिकारी की सहायता की अपेक्षा, इस प्रयोजनार्थ, की जाएगी, वह न्यायाधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

(2) जहाँ कहीं भी इस धारा के अधीन चलायी गयी कार्यवाही या इस धारा के अधीन कुछ भी किये जाने के फलस्वरूप यह प्रश्न उठता हो कि क्या कोई भूमि पूर्त या धार्मिक संस्थान या धर्मदाय की सम्पत्ति है तो ऐसी भूमि तब तक पूर्त या धार्मिक संस्थान या धर्मदाय की सम्पत्ति के रूप में उपधारणा की जाएगी मानी जाएगी जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न किया जाता हो।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायाधिकरण द्वारा धारा-43घ की उपधारा (4) (क) के अन्तर्गत पारित आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।]

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 16 द्वारा अन्तःस्थापित।

अध्याय 8

न्यासी द्वारा अचल सम्पत्ति अंतरित करना और धन उधार लेना

44. धार्मिक न्यास की अचल सम्पत्ति को अंतरित करने की शक्ति.—(1) इस अधिनियम के अधीन पर्षद् की स्थापना के बाद धार्मिक न्यास की किसी अचल सम्पत्ति का न्यासी द्वारा विक्रय, रेहन, दान या बदलैन के रुप में या तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा के रुप में किया गया कोई भी अंतरण विधि मान्य नहीं होगा जबतक वह पर्षद् की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया गया हो।

(2) धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ज) में न्याससम्पत्ति के परिवर्तन सम्बन्धी उपबंधों के अधीन रहते हुए, पर्षद् द्वारा, न्यास सृजित करनेवाला समर्पणनामा की शर्तों के विरुद्ध, अथवा न्यास सृजित करनेवाला किसी समर्पणनामा की अनुपलब्धता की स्थिति में, संस्थापक की इच्छाओं, जहां तक वे विनिश्चित की जा सकें, के विरुद्ध विक्रय, रेहन, दान या बदलैन के रुप में या पट्टा के रुप में धार्मिक न्यास की किसी अचल सम्पत्ति के किसी अंतरण के वास्ते मंजूरी नहीं दी जाएगी।

[1][**44क. कुछ न्यास सम्पत्तियों की पुन: स्थापना.**—अधिनियम लागू होने की तिथि के बाद धारा 44 के उल्लंघन में अन्यसंक्रांत सभी अचल सम्पत्तियाँ न्यायाधिकरण के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार धार्मिक न्यास को प्रत्यावर्तित कर दी जाएगी।]

45. पर्षद् की पूर्वानुमति के बिना न्यासी धन उधार नहीं लेगा.—कोई भी न्यासी, इस अधिनियम के शासकीय गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि के बाद, पर्षद, की पूर्वानुमति के बिना, उस धार्मिक न्यास जिसका वह न्यासी है, के किसी प्रयोजन के लिए कोई धन उधार नहीं लेगा।

अध्याय 9

न्यायिक कार्यवाही

46. किसी धार्मिक, पवित्र या पूर्त कार्य, जिसका सम्पादन किसी सम्पत्ति पर प्रभारित है, नहीं सम्पादित किये जाने की दशा में जिला न्यायाधीश को आवेदन करने की पर्षद् की शक्ति.—जहां हिन्दू विधि में मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक, पावन या पूर्त कार्य के सम्पादन के लिए कोई सम्पत्ति प्रभारित हो और उक्त कार्य का सम्पादन नहीं होता हो, वहां पर्षद् जिला न्यायाधीश को इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगी कि सम्पत्ति के दखलकर व्यक्ति को यह निर्देश करता हुआ आदेश दिया जाय कि वह उस कार्य के लिये, जिसके सम्पादन के लिये प्रभार सृजित किया गया है। पर्षद् को या पर्षद द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक राशि दे।

47. न्यासी के दायित्व निभाने वास्ते अधिप्रापक (Receiver) नियुक्त करने के लिए उसे बाध्य करने के निमित्त आवेदन.—यदि धार्मिक न्यास का न्यासी जानबुझाकर उक्त धार्मिक न्यास के अधीन उसे सौंपे गये कर्त्तव्यों में से किसी का निर्वहन करने में विफल हो, तो पर्षद् या उक्त धार्मिक न्यास में हितबद्ध कोई व्यक्ति निम्नलिखित आदेश के लिये जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा:

(क) आदेश में निर्धारित समय के भीतर न्यासी द्वारा उक्त कर्त्तव्य की पूर्त्ति का निदेश; या

(ख) यदि न्यासी निर्धारित समय के भीतर उक्त निदेश का पालन न करे तो धार्मिक न्यास की निधि और सम्पत्ति का अधिप्रापक की नियुक्ति।

48. न्यासी को हटाने या न्यासी को नियुक्त करने की जिला न्यायाधीश की शक्ति.—(1) पर्षद्, या पर्षद् की पूर्वानुमति से धार्मिक न्यास में हितबद्ध कोई व्यक्ति निम्नांकित किसी आदेश के लिये जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा–

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 17 द्वारा अन्तःस्थापित।

(क) धार्मिक न्यास के न्यासी को हटाना यदि उक्त न्यासी–

(i) उक्त न्यास के हित के विरुद्ध कार्य करता हो; अथवा

(ii) उक्त न्यास की सम्पत्ति या आय के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय राशि अथवा उस सम्पत्ति या आय पर कोई अन्य कानूनी प्रभार को चुकाने में तीन या उससे अधिक बार विफल रहता हो; या

(iii) उक्त न्यास के तहत किसी लाभार्थी को देय किसी राशि के भुगतान में या तद्विषयक सौंपे गए कोई अन्य कर्त्तव्य निभाने में चूक करता हो; या

(iv) न्यास भंग का दोषी हो :

(ख) नये न्यासी की नियुक्ति;

(ग) न्यासी में किसी सम्पत्ति को निहित करना;

(घ) लेखा और जांच के निदेश; या

(ङ) उस प्रकार के और भी या अन्य अनुतोषों की स्वीकृति के लिए जो मुकदमें की हालात में आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के तहत, जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा।

49. अस्पष्ट या अनिश्चित उद्देश्य की स्थिति में सम्पत्ति, आदि का प्रयोग.—(1) जहां पर्षद् के, या पर्षद् की पूर्वानुमति से धार्मिक न्यास में किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर जिला न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि न्यास का कोई उद्देश्य, जिससे उक्त आवेदन का सम्बन्ध है, अस्पष्ट या अनिश्चित है, वहां वह निदेश दे सकेगा कि उस निधि, सम्पत्ति या आय का उतना, जितना का सम्बन्ध उक्त उद्देश्य से है, गरीब हिन्दुओं की शिक्षा पर खर्च किया जाय।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के तहत गरीब हिन्दुओं की शिक्षा पर उपयोग में निधि, सम्पत्ति या आय का उक्त उद्देश्य के प्रति प्रयोग, पर्षद् के निदेश के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध न्यासी द्वारा किया जाएगा।

732.

50. पर्षद को कुछ मुकदमों की नोटिस दिया जाना और उनमें पर्षद् को पक्षकार रुप में जोड़ना.—(1) (न्यासी द्वारा बकाया लगान (रेंट) की वसूली के लिये दायर किये गये मुकदमों और वैसे मुकदमों में पारित डिक्रियों के निष्पादन कार्यवाहियों को छोड़कर) किसी धार्मिक न्यास या उक्त न्यास की सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी मुकदमा या कार्यवाही में, चाहे वह न्यासी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर की गई हो, न्यायालय, पर्षद् को उसके दायर किये जाने की नोटिस जारी करेगा।

(2) पर्षद्, अपने को उस न्यायालय के पास, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट मुकदमा या कार्यवाही लम्बित है, पक्षकार बनाने के लिए आवेदन कर सकेगा और उस पर उसे उसमें पक्षकार के रुप में जोड़ा जाएगा और, यदि न्यासी द्वारा दायर किया गया हो तो वह उक्त मुकदमा या कार्यवाही को चलाने का हकदार होगी, तथा यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यासी के विरुद्ध दायर किया गया हो तो उक्त मुकदमा या कार्यवाही का बचाव करेगी।

(3) यदि किसी मुकदमा या कार्यवाही के सम्बन्ध में पर्षद् को उपधारा (1) में जारी की जानेवाली अपेक्षित नोटिस नहीं जारी की जाती है, तो उक्त मुकदमा या कार्यवाही में पारित की गई डिक्री या आदेश पर्षद् की मांग पर शून्यकरणीय होगा।

51. सुलह, आदि में पर्षद् का अनुमोदन आवश्यक.—पर्षद् की लिखित अनुमति के बिना, किसी धार्मिक न्यास या उक्त न्यास की सम्पत्ति के सम्बन्ध में (न्यासी द्वारा बकाया लगान (रेंट) की वसूली के लिए दायर किये गये मुकदमों और उन मुकदमों में पारित की गई डिक्रियों के निष्पादन में कार्यवाहियों को छोड़कर) किसी मुकदमा या कार्यवाही में कोई भी करार, सुलह या समझौता सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), के आदेश 23 के नियम 8 के उपबन्ध के तहत नहीं अभिलिखित किया जाएगा।

[1][परन्तु धारा-44 के अध्यधीन धार्मिक न्यास को वर्तमान किराये को स्थानीय प्रचलित किराये की दर के बराबर लाने की शक्ति होगी और किराये की सम्पूर्ण राशि को धार्मिक न्यास के बैंक/डाकघर खाता में जमा की जायेगी। धार्मिक न्यास के निर्णय से व्यथित कोई पक्ष या धार्मिक न्यास के कार्य-कलापों से हितबद्ध कोई दो व्यक्ति उस क्षेत्र के अनुमण्डल दण्डाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा।]

52. धार्मिक न्यास की सम्पत्ति के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, के तहत कार्यवाही की पर्षद् को नोटिस.—(1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का प्रथम), के अधीन कार्यवाही के दौरान समाहर्ता किसी धार्मिक न्यास की सम्पत्ति के सम्बन्ध में पंचाट बनाने के पहले पर्षद् को नोटिस जारी करेगा और नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों के अन्दर किसी समय उक्त कार्यवाही में उसे पक्षकार की हैसियत से अभिवचन करने के समर्थ बनाने के लिऐ आगे की कार्यवाही स्थगित करेगा।

(2) जहां पर्षद् को यह विश्वास करने का कारण होगा कि अर्जन के अधीन कोई सम्पत्ति धार्मिक न्यास की है, वहां वह पंचाट बनने के पहले किसी समय उपस्थित होकर कार्यवाही के पक्षकार के रुप में अभिवचन कर सकेगी।

(3) जब पर्षद् उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन उपस्थित हो जाएगी, तब पर्षद् को सुनवाई का अवसर दिये बिना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का प्रथम), की धारा 31 या धारा 32 के अधीन कोई आदेश नहीं पारित किया जाएगा।

(4) पर्षद् को सुनवाई का अवसर दिये बिना, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का प्रथम), की धारा 31 या धारा 32 के अधीन पारित किया गया कोई आदेश पर्षद् की मांग पर शून्यकरणीय होगा।

53. पर्षद् को बिक्री की नोटिस दिया जाना.—(1) जब कभी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में या बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (1914 का बि॰ और उ॰ अधिनियम 4), की धारा 4 या 6 के अधीन दाखिल की गई सर्टिफिकेट के निष्पादन में सर्टिफिकेट पदाधिकारी के आदेश के तहत या समाहर्ता या अन्य राजस्व पदाधिकारी के डिक्री या आदेश के अनुसरण में धार्मिक न्यास की कोई सम्पत्ति बिक्री के लिए अधिसूचित की जाएगी, तब उक्त न्यायालय, सर्टिफिकेट पदाधिकारी, समाहर्ता, या अन्य पदाधिकारी पर्षद् को भी उसकी नोटिस, देगा।

1. संशोधन अधिनियम सं॰ 1 वर्ष 2007 की धारा 18 द्वारा "परन्तुक" अन्तःस्थापित।

(2) यदि किसी बिक्री के सम्बन्ध में पर्षद् को उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित नोटिस नहीं दी जायगी तो पर्षद् की मांग पर उक्त [1][बिक्री शून्य होगी]।

54. उस जिला के जिला न्यायाधीश को आवेदन किया जाएगा जिसमें न्यास की विषय-वस्तु अवस्थित है.—(1) जब इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के द्वारा या तहत कोई आवेदन या निदेशन जिला न्यायाधीश को किया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत हो तब वैसा आवेदन या निर्देशन उस जिला के जिला न्यायाधीश को किया जाएगा। जिसमें सम्बन्धित धार्मिक न्यास की विषय वस्तु पूर्णतः या भागतः अवस्थित है।

(2) जब कोई ऐसा आवेदन या निर्देशन एक जिला के जिला न्यायाधीश के समक्ष लम्बित रहे, तब उक्त न्यास की पूर्णतः या भागतः विषय-वस्तु के सम्बन्ध में कोई वैसा आवेदन या निर्देशन किसी अन्य जिला के जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा।

55. जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी.—(1) जबतक इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो, तबतक इस अधिनियम के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा पारित किये गये हरेक आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

(2) इस धारा के तहत अपील में पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील संधार्य नहीं होगी।

56. सम्मन जारी करने और साक्षियों को उपस्थित कराने तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत कराने की शक्ति.—इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए पर्षद् और, यदि पर्षद् द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत हो तो, अध्यक्ष, अधीक्षक, समिति और क्षेत्रीय न्यास समिति को सम्मन जारी करने, साक्षियों और पक्षकारों को उपस्थित कराने तथा दस्तावेज दाखिल करने के लिए विवश करने की वही शक्ति होगी जो सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन है।

57. धारा 28 के खंड (2) (ज) या धारा 33 के अधीन पर्षद् द्वारा पारित आदेश का सिविल न्यायालय की डिक्री जैसी प्रवर्तनीय होना.—धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ज), [2][धारा 29 की उपधारा (4)], [3][धारा 32 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2)] धारा 33 की उपधारा (1) के तहत पर्षद् द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेश को स्थानीय अधिकारिता प्राप्त किसी सिविल न्यायालय द्वारा उसी तरह लागू किया जाएगा। जिस तरह उक्त न्यायालय की डिक्री लागू की जाती है।

अध्याय 10

न्यासी और उसका कार्य

58. न्यासी, पर्षद् का आदेश पालन करेगा।– प्रत्येक न्यासी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के तहत समय-समय पर पर्षद् द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा। [4][और सभी आय एवं व्यय के खातों का सही सही और सावधानीपूर्वक संधारण करते हुए न्यास के कार्य-कलापों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।]

59. न्यासी धार्मिक न्यासों के ब्योरे देगा.—(1) (क) प्रथम पर्षद् के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से छः महीने के अन्दर, उक्त तारीख को विद्यमान प्रत्येक धार्मिक न्यास का न्यासी, पर्षद् को उस न्यास संबंधित, जिसका वह न्यासी है, विहित फारम में विहित ब्यौरे सहित एक विवरण देगा।

---

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम सं० 16 वर्ष 1951 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 20 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. अधिनियम सं० 27 वर्ष 1958 की धारा 21 द्वारा अन्तःस्थापित।

(ख) उक्त प्रकाशन की तारीख के बाद सृजित किये गये धार्मिक न्यास की स्थिति में, उक्त न्यास के न्यासी द्वारा उक्त न्यास के सृजित किये जाने की तारीख से छः महीने के अन्दर पर्षद् को विवरण दिया जाएगा:

[1][परंतु यह कि राज्य सरकार खंड (क) और (ख) में उल्लिखित अवधि को समय-समय पर अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकेगी।]

(2) प्रत्येक ऐसा विवरण न्यासी द्वारा, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), में अभिवचन के सत्यापन के लिए विहित की गई रीति से, सत्यापित किया जाएगा और इसके साथ न्यास का सृजन करने वाला विलेख या लिखत की सही प्रति रहेगी और जहां ऐसा कोई विलेख या लिखत नहीं हो वहां विहित प्ररूप में उद्देश्यों को उल्लिखित करता हुआ और उक्त रीति से सत्यापित किया हुआ विवरण साथ रहेगा।

60. धार्मिक न्यासों के बजट और पर्षद् को ऐसे बजट पेश करना.—(1) हरेक धार्मिक न्यास का न्यासी हर साल पन्द्रह जनवरी से पहले आगामी अनुवर्ती वर्ष के लिए उक्त न्यास की अनुमानित आय और व्यय का बजट तैयार करेगा और तत्काल उसकी एक प्रति पर्षद् को भेजेगा:

परंतु यह कि पर्षद् ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी वह समय-समय पर लगा सकेगी, पांच सौ रुपये से कम आय वाले धार्मिक न्यासों के न्यासियों को पर्षद्, के पास उक्त न्यासों के बजट की प्रतियां भेजने के दायित्व से मुक्त कर सकेगी और किसी भी समय उक्त मुक्ति को वापस ले सकेगी:

परंतु यह और भी कि इस प्रकार की मुक्ति पर्षद् को किसी वित्तीय वर्ष के लिये, जिसमें उक्त मुक्ति प्रवर्तनशील रहेगी, उक्त न्यास की बजट की प्रति भेजने से निवारित नहीं करेगी।

(2) पर्षद्, उक्त प्रति की प्राप्ति की तिथि से छः सप्ताह के भीतर बजट को उस प्रकार और उस सीमा तक परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगी जैसा वह उचित समझेगी।

(3) यदि पर्षद् उपधारा (2) के तहत किसी बजट को परिवर्तित या उपांतरित करेगी तो वह तत्काल इस प्रकार परिवर्तित या उपांतरित बजट की एक प्रति सम्बद्ध न्यास के न्यासी को भेजेगी और इस प्रकार परिवर्तित या उपांतरित बजट उक्त धार्मिक न्यास का बजट समझा जाएगा।

(4) यदि उपधारा (2) में उल्लिखित अवधि के भीतर और तत्पश्चात् दो सप्ताह तक पर्षद् सम्बद्ध न्यास के न्यासी को यथापूर्वोक्त परिवर्तित या उपांतरित बजट की प्रति नहीं भेजता हो तो यह माना जाएगा कि पर्षद् ने उक्त बजट को बिना किसी परिवर्तन या उपांतरण के अनुमोदन कर दिया है।

(5) यदि उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित बजट तैयार करने और उसकी प्रति भेजने में न्यासी विफल होता है, तो पर्षद् हर साल पहली मार्च से पहले सम्बद्ध न्यास के लिए बजट तैयार करके उसकी एक प्रति भेजेगी और प्रश्नगत साल के लिये उस न्यास का बजट, वही बजट समझा जाएगा।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात पर्षद् को संस्थापक की इच्छाओं, जहां तक उनको विनिश्चित किया जा सके, या इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगति की प्रकृति का या सीमा तक, परिवर्तित या उपांतरित करने वास्ते अधिकृत करती नहीं मानी जाएगी।

61. क्षेत्रीय न्यास समितियों को बजट की प्रतियां दी जाएंगी.—उन क्षेत्रों में जिनके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के तहत क्षेत्रीय न्यास समितियां स्थापित की गई हैं, उस क्षेत्र के क्षेत्रीय न्यास समिति को, जिसमें सम्बद्ध न्यास का प्रधान कार्यालय अवस्थित है, न्यासी द्वारा धारा 59 में उल्लिखित विवरणों में से हरेक की प्रति और धारा 60 में उल्लिखित बजट की प्रति दी जाएंगी।

---

1. अधिनियम सं० 27 वर्ष 1958 द्वारा अन्तःस्थापित।

62. जांच, आदि में सहायता देना न्यासी का कर्त्तव्य.—पर्षद् के आह्वान पर, हरेक धार्मिक न्यास का न्यासी किसी समिति, अध्यक्ष, अधीक्षक या पर्षद् द्वारा जांच करने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति या पदाधिकारी को उक्त न्यास के दस्तावेज और सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए हरेक युक्ति युक्त सुविधा और जांच में इस तरह की सहायता देगा।

अध्याय 11

लेखा–परीक्षा और अनियमित व्यय की वसूली

63. धार्मिक न्यास के लेखे की परीक्षा.—(1) हरेक साल हरेक धार्मिक न्यास, सिवाय उस धार्मिक न्यास जिसके न्यासी को धारा 60 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के तहत बजट की प्रति भेजने से मुक्त किया गया है के लेखे की परीक्षा पर्षद् द्वारा लेखापरीक्षक रुप में नियुक्त किये गये अर्हताप्राप्त लेखाकार द्वारा की जाएगी।

(2) लेखा-परीक्षक, लिखित नोटिस देकर, अपने सामने किसी दस्तावेज की पेशी या लेखा-परीक्षा के समुचित संचालन के लिए आवश्यक समझी जाने वाली जानकारी प्राप्त करने वास्ते अपने को समर्थ करने के लिए लेखे तैयार करने में उत्तरदायी रहे व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) लेखा–परीक्षा के पूरा होने के बाद एक महीना के भीतर, लेखा परीक्षक अंकेक्षित और परीक्षित लेखे पर रिपोर्ट तैयार करेगा और पर्षद् को एक रिपोर्ट देगा तथा उसकी प्रति सम्बद्ध न्यासी को:

परंतु, लेखापरीक्षक किसी भी समय, जो वह ठीक समझे, अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है।

(4) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में विवरण होगा–

(क) कोई भुगतान जो उसे विधि-विरुद्ध या बजट के प्रावधानों के विरुद्ध प्रतीत हो;

(ख) किसी कमी या नुकसान की राशि जो न्यासी की लापरवाही या गलत आचरण के चलते हुई प्रतीत होती हो; और

(ग) किसी राशि की रकम जो न्यासी द्वारा लेखा में लाई जानी चाहिए थी लेकिन नहीं लाई गई हो।

(5) उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पर्षद्–

(क) आदेश कर सकेगी कि उप-धारा (4) के खंड (क) में उल्लिखित कोई भुगतान स्वीकृत किया जाए या कि उक्त उपधारा के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित किसी रकम के सम्बन्ध में कोई आगे कार्रवाई नहीं की जाए; या

(ख) यह आवश्यक करते हुए सम्बद्ध न्यासी को नोटिस तामिल कर सकेगी कि वह नोटिस की तामिली की तारीख से एक महीना के भीतर वजह बताए कि उक्त भुगतान को क्यों नहीं अधिभारित किया जाए या उक्त रकम को उस पर क्यों नहीं प्रभारित किया जाए।

(6) न्यासी द्वारा बताई गई वजह पर विचार करने और उसे सुनवाई के समुचित अवसर देने के बाद पर्षद् उक्त भुगतान को अधिभारित कर सकेगी या किसी नुकसान या कमी की राशि को उस पर प्रभारित कर सकेगी, और हरेक ऐसे मामले में न्यासी से बकाया हुई राशि को प्रमाणित करेगी।

(7) पर्षद लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किये गये उपधारा (4) में उल्लिखित विवरण, यदि हो, की प्रति राज्य सरकार को उसके द्वारा यथोचित आदेश के लिए भेजेगी।

(8) यदि उपधारा (5) और (6) के तहत पर्षद् के आदेश और उपधारा (7) के तहत राज्य सरकार के आदेश में विरोध होगा तो पश्चातवर्ती हावी होगा।

(9) धार्मिक न्यास के लेखे की परीक्षा का व्यय न्यासनिधि से अदाय किया जाएगा।

64. प्रमाणित राशि लोक-मांग के रुप में वसूल की जाएगी.—(1) किसी न्यासी से धारा 63 की उपधारा (6) के तहत बाकी प्रमाणित हरेक राशि, प्रमाणीकरण की तिथि के बाद नब्बे आगामी दिन के अन्दर नहीं चुकाए जाने पर, धारा 70 के उपधारा (4) में उपबन्धित रीति के अनुसार उससे वसूल की जा सकेगी।

(2) पर्षद् अपने द्वारा प्राप्त या वसूली गई सभी प्रमाणित राशियों को सम्बद्ध धार्मिक न्यास के न्यासी को, उक्त न्यास के लेखा में जमा करने वास्ते, दे देगी।

65. अधिभार या प्रभार के आदेश के विरुद्ध अपील.—(1) धारा 63 की उपधारा (6) के अधीन उस पर लगाये गये अधिभार या प्रभार के किसी आदेश से क्षुब्ध न्यासी, उक्त आदेश के तीस दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा जो यथोचित जांच करने के बाद वैसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) धारा 64 की उपधारा (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उक्त अपील के लम्बित रहने की अवधि में सर्टिफिकेट पर की सभी कार्यवाहियां स्थगित कर दी जाएंगी।

66. पर्षद् के लेखे की परीक्षा.—पर्षद् के लेखे बिहार और उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1925 (1925 का बि० और उ० अधिनियम 2), के अधीन लेखापरीक्षा के विषय होंगे और उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, पर्षद् को एक ऐसी स्थानीय प्राधिकारी माना जाएगा जिसके लेखे को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन लेखा-परीक्षा के विषय होने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है, और न्यास-निधि को स्थानीय निधि मानी जाएगी।

अध्याय 12

अपराध और दंड

67. अधिनियम के तहत अपराधें और उक्त अपराधों के लिए दंड.—(1) यदि न्यासी, बिना युक्तियुक्त कारण के, अनुपालन करन के भार के, जो उसपर होगा, साबित किये, धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ड), (ण) या (थ) के तहत या धारा 58 के तहत किया गया या जारी किया गया किसी आदेश या निदेश का अनुपालन, धारा 59 की उपधारा (1), धारा 60 की उपधारा (1), धारा 61 या धारा 62 के उपबन्धों के अनुसार अनुपालन करने या उस धार्मिक न्यास, जिसका वह न्यासी है, से सम्बन्धित कोई विवरण, वार्षिक लेखा, आकलन, स्पष्टीकरण या अन्य दस्तावेज या जानकारी, जिसे प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा या उसका आह्वान इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के तहत किया गया हो, नहीं करेगा या देगा, तो वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो प्रथम अपराध की दशा में [1][दो हजार रुपए] तक हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए [1][पांच हजार रुपए तक हो सकेगा] और जुर्माना नहीं चुकाने की दशा में साधारण कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि यथास्थिति छः महीने से एक साल हो सकेगी।

(2) उपधारा (1) के तहत वसूले गए जुर्माने न्यास-निधि में जमा किये जाएंगे।

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।

68. अपराध जमानतीय, शमनीय और असंज्ञेय होंगे.—(1) इस अध्याय के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन केवल अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति की शिकायत पर ही शुरू किया जाएगा।

(2) इन अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के न्यायालय से भिन्न कोई अन्य न्यायालय नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक ऐसा अपराध जमानतीय होगा और, [1][दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5), में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अध्यक्ष द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी शिकायत पर अभियोजन शुरू किया गया है, शमनीय होगा।

अध्याय 13

न्यास-निधि

[2][**69. न्यास का सृजन.**—(1) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद्, और बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् में से प्रत्येक के लिए पृथक्-पृथक् न्यास निधि बनाई जाएगी जो क्रमशः बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् निधि, बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् निधि और बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् निधि कही जाएगी, और—

(i) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् निधि में जमा होंगी—

(क) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, दान और अनुदान के रुप में, [3][सरकार, बैंकों, निगमों या किसी रजिस्ट्रिकृत संस्थान से] प्राप्त सभी राशियां;

(ख) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, धारा 67 के तहत जुर्माना के रुप में, प्राप्त सभी राशियां;

(ग) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, धारा 70 के तहत शुल्क के रुप में, प्राप्त सभी राशियां;

(घ) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा दस्तावेज के निरीक्षण और प्रतिलिपि देने के लिये शुल्क के रुप में, प्राप्त या वसूल हुई सभी राशियां;

(ङ) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा, किसी वाद या कार्यवाही में उसे प्रदत्त खर्च के रुप में, प्राप्त या वसूल हुई सभी राशियां;

(च) धारा 64 के तहत प्राप्त या वसूल प्रमाणित राशियों को छोड़कर किसी अन्य मद में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा प्राप्त या वसूल की गई सभी राशियां;

(ii) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् निधि में जमा होंगी—

(क) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, दान और अनुदान के रुप में, प्राप्त सभी राशियां;

(ख) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, धारा 67 के तहत जुर्माना के रुप में, प्राप्त सभी राशियां;

(ग) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा धारा 70 के तहत शुल्क के रुप में प्राप्त सभी राशियां;

---

1. अब दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2).
2. अधिनियम सं. 27 वर्ष 1953 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 23 द्वारा अन्तःस्थापित।

(घ) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, दस्तावेज के निरीक्षण और प्रतिलिपि देने के लिए शुल्क के रूप में, सभी प्राप्तियां;

(ङ) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, किसी वाद या कार्यवाही में उसे प्रदत्त खर्च के रूप में, प्राप्त या वसूल हुई सभी राशियां;

(च) धारा 64 के तहत प्राप्त या वसूल प्रमाणित राशियों को छोड़कर अन्य किसी मद में बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा या वसूल की गई सभी राशियां; और

(iii) बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् निधि में जमा होंगी–

(क) बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, दान और अनुदान के रूप में, प्राप्त सभी राशियां;

(ख) बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, धारा 67 के तहत जुर्माना के रूप में, प्राप्त सभी राशियां;

(ग) बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, धारा 70 के तहत शुल्क के रूप में, प्राप्त सभी राशियां;

(घ) बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, दस्तावेज के निरीक्षण और प्रतिलिपि देने के लिए शुल्क के रूप में, सभी प्राप्तियां;

(ङ) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा किसी वाद या कार्यवाही में उसे प्रदत्त खर्च के रूप में, प्राप्त या वसूल हुई सभी राशियां;

(च) धारा 64 के तहत प्राप्त या वसूल प्रमाणित राशियों को छोड़कर अन्य किसी मद में बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा प्राप्त या वसूल की गई सभी राशियां।

(2) प्रत्येक पर्षद् की निधि, सम्बन्धित पर्षद् में निहित होगी और निधि में जमा अतिशेष वैसी अभिरक्षा में रखा जाएगा। जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित की जाएगी।]

70. धार्मिक न्यासों द्वारा पर्षद् को देय फीस.—(1) इस अधिनियम के प्रशासन में खर्च किया गया या खर्च होने के लिए, हरेक न्यास का न्यासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उतनी फीस, अंतिम पूर्ववर्ती वर्ष में अपनी शुद्ध आय का अधिक से अधिक पांच प्रतिशत, जो पर्षद् समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, निर्धारित कर सकेगी, पर्षद् को देगा।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा में 'शुद्ध आय' अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है राजस्व, लगान, स्थानीय और अन्य उपकर और [1][बीस प्रतिशत] की दर से प्रबन्धन-व्यय के रूप में देय राशि को घटाने के बाद की सभी स्रोतों से न्यासी द्वारा वसूली गई कुल आय।

(2) (क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में निर्धारित किया जायेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किये गये निर्धारण आदेश से विक्षुब्ध न्यासी उक्त आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक महीना के भीतर खण्ड (क) के अधीन उस प्रधिकारी के पास अपील कर सकेगा जो विहित किया जाएगा और उक्त प्राधिकारी आदेश के जरिए उक्त निर्धारण को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा और ऐसा आदेश अंतिम होगा।

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) उक्त फीस विहित रीति से चार बराबर-बराबर किश्तों में उन तारीखों पर दी जाएगी जो पर्षद द्वारा समय-समय पर नियत की जाएगी।

(4) यदि उक्त फीस की कोई किश्त उपधारा (3) के तहत उन किश्तों की अदायगी के लिए पर्षद द्वारा नियत की गई तारीख पर या उससे पहले नहीं चुकाई जा सके तो वह उसे अदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से, पर्षद को देय लोक मांग के रूप में, वसूल की जा सकेगी।

(5) पर्षद् किसी धार्मिक न्यास के न्यासी द्वारा देय फीस का कोई अंश कम कर सकेगी। [1][यदि कोई न्यास किसी एक एकल गाँव में स्थित हो और न्यास के विलेख में भू-सम्पत्ति एक एकड़ से कम हो और न्यास की वार्षिक आय दस हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम हो तो न्यास को किसी विशेष अवधि के लिए फीस देने से छूट दे सकेगी।]

(6) धार्मिक न्यास का न्यासी उप-धारा (1) के तहत स्वयं द्वारा देय फीस को उक्त न्यास के लाभार्थियों से वसूल कर सकेगा, लेकिन वैसे व्यक्तियों में से किसी एक से वसूलनीय राशि उतनी राशि से अधिक नहीं होगी जितनी उस व्यक्ति द्वारा प्राप्य लाभ के मूल्य का अनुपात कुल देय अंशदान के प्रति उक्त न्यास की कुल उपलब्ध आय के साथ आता हो;

परन्तु यह कि यदि किसी न्यास की आय जो उप-धारा (1) के तहत देय फीस जैसी राशि से भिन्न और न्यास-विलेख के तहत देय राशि से अधिक हो इस अधिनियम के तहत बाकी पड़ी राशि से अधिक होती है, तो उक्त आय से सर्वप्रथम फीस अदा की जाएगी।

[2][(7) प्रशासनिक व्यय अदा करने के बाद, यदि कोई अधिशेष निधि हो तो इस निधि से सरकार राज्य में अवस्थित पौराणिक और ऐतिहासिक महत्त्व के धार्मिक न्यासों के पुनर्नवीकरण एवं विकास के लिए उपयोग की जाएगी।]

71. उद्देश्य, जिनपर न्यास निधि खर्च की जाएगी.—न्यास निधि निम्नांकित उद्देश्यों पर और निम्नांकित क्रम में खर्च की जाएगी:–

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पर्षद् द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी पर;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पर्षद् द्वारा नियुक्त किए गए अध्यक्ष, अधीक्षक और स्थापना के वेतन और भत्तों के भुगतान पर और उक्त स्थापना के अधीक्षक और सदस्यों के उपदान और भविष्य-निधि अंशदान पर;

(ग) सदस्यों के यात्रा-भत्तों और अन्य भत्तों के भुगतान पर;

(घ) समितियों के सदस्यों और क्षेत्रीय न्यास समितियों के सदस्यों के यात्रा-भत्तों और अन्य भत्तों के भुगतान पर;

(ङ) धारा 70 में उल्लिखित फीस के निर्धारण और वसूली में किये गये व्यय पर;

(च) न्यास-निधि की लेखा-परीक्षा और किसी धार्मिक न्यास के लेखे की लेखा-परीक्षा में अध्याय 11 के तहत की गई लेखा-परीक्षा के व्यय के भुगतान पर;

(छ) किसी वैध वाद या कार्यवाही में व्यय पर, जिसमें पर्षद् पक्षकार है;

[2](ज) धारा 36 की उपधारा (1) के तहत धार्मिक न्यास सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय भू-राजस्व, उपकर, लगान, महसूल या करों के भुगतान पर;

1. संशोधन अधिनियम सं॰ 1 वर्ष 2007 की धारा 24 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. तत्रैव अन्तःस्थापित।

(ङ) किसी ऐसे उद्देश्य पर, जो इस प्रयोजन के लिए विशेष तरह से आयोजित बैठक में बैठे सदस्यों के द्वारा जिसके पक्ष में उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई ने उसको एक ऐसा उद्देश्य होने वाले मान लिया हो जिसपर हिन्दू विधि के अनुसार न्यास निधि लगाई जा सकती है; और

(च) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्षद द्वारा किये गये किसी अन्य व्यय के भुगतान पर। [1][जिसमें राज्य के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक मन्दिर/मठ के रख-रखाव, स्थापना या विकास पर व्यय और सुसंगत परिचायिकाओं या पुस्तकों के प्रकाशन या वी०सी०डी० या धार्मिक न्यासों के वृत्तचित्र के निर्माण के खर्च भी शामिल होंगे।]

अध्याय 14

कुछ वादों के लिए विशेष प्रावधान

[2]72. **रिसीवर की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान.**—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) (समय-समय पर यथासंशोधित) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ पर्षद को या द्वारा वाद संस्थित किया जाता है और जहाँ सम्पत्ति, जो वाद की विषय-वस्तु है, प्रतिवादी के कब्जे में है, वहाँ वादी द्वारा आवेदन दिये जाने पर, न्यायाधिकरण उक्त सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त करेगा और उक्त रिसीवर को सम्पत्ति की आय से वादी को, समय-समय पर, वह रकम देने का निदेश देगा, जो न्यायाधिकरण वाद चलाने के लिए आवश्यक समझे।

(2) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7), (बिहार संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा यथासंशोधित) में किसी बात के होते हुए भी, अन्यसंक्रामणित अचल सम्पत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए न्यास या पर्षद द्वारा संस्थित वाद के सम्बन्ध में अर्जी या अपील के ज्ञापन पर भुगतेय फीस 100 रुपये होगा।]

अध्याय 15

प्रकीर्ण

73. धार्मिक न्यास की सम्पत्ति सम्बन्धी दस्तावेजों, पंजियों और अभिलेखों का पर्षद द्वारा निःशुल्क निरीक्षण.—किसी विधि या विधि का बल रखनेवाले नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धार्मिक न्यास की सम्पत्ति सम्बन्धी किसी दस्तावेज, पंजी या अभिलेख, जो किसी न्यायालय, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी कार्यालय या विभाग की अभिरक्षा में हो, के निरीक्षण के लिए पर्षद से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

परन्तु, ऐसा निरीक्षण पर्षद के केवल विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को और केवल उन्हीं दस्तावेजों, पंजियों या अभिलेखों के लिए, जिन्हें कोई प्राइवेट पक्षकार साधारणतः निरीक्षण कर सकता है, अनुज्ञात की जाएगी।

74. न्यासी निदेशों के लिए पर्षद के पास आवेदन कर सकेगा.—धार्मिक न्यास का न्यासी उस न्यास की सम्पत्ति के प्रबन्ध या प्रशासन को प्रभावी करनेवाले किसी प्रश्न पर पर्षद की राय, परामर्श या निदेश के लिए याचिका द्वारा पर्षद के पास आवेदन कर सकेगा और पर्षद उस पर, यथास्थिति, अपनी राय, परामर्श या निदेश देगा।

---

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 25 द्वारा अंतःस्थापित।
2. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।

75. अध्यक्ष, आदि लोक सेवक होंगे.—अध्यक्ष, अधीक्षक, धारा 63 के तहत नियुक्त प्रत्येक लेखा-परीक्षक और पर्षद् द्वारा या अध्यक्ष द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई कार्य करने के लिए पर्षद् द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक सदस्य पदाधिकारी और कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के तात्पर्य के अधीन लोक-सेवक माना जाएगा।

76. उपधारणा और व्यावृत्ति.—(1) पर्षद् या समिति का कोई भी कार्य उक्त पर्षद् या समिति में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण अविधिक नहीं माना जाएगा।

(2) पर्षद् या समिति, यथास्थिति, के किसी सदस्य पर उक्त पर्षद् या समिति की बैठक की नोटिस तामिल करने में आकस्मिक चूक वैसी किसी बैठक की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी, और उक्त पर्षद् या समिति, यथा-स्थिति, द्वारा वैसी किसी बैठक में लिया गया कोई निर्णय मात्र इस अनियमितता के चलते अविधिक नहीं माना जाएगा जबतक यह दर्शित नहीं किया जाए कि उक्त अनियमितता ने मामले के गुणागुण को प्रभावित किया है।

(3) पर्षद् का कोई भी कार्य, आदेश या निर्देश पर्षद् के गठन में किसी अनियमितता के चलते अवैध नहीं माना जाएगा और पर्षद् या अध्यक्ष का कोई भी आदेश या निर्णय या निर्देश उलटा या तात्विक रूप से परिवर्तित नहीं किया जाएगा और न पर्षद् या अध्यक्ष द्वारा सुनी गई कोई भी कार्यवाही उस जिला न्यायाधीश या न्यायालय द्वारा वापस भेजी जाएगी जिसके समक्ष या जिसमें, पर्षद् या अध्यक्ष के समक्ष कार्यवाही में पक्षकारों या वादहेतुकों का असंयोजन या कुसंयोजन या किसी भूल, त्रुटि या अनियमितता के चलते पर्षद् या अध्यक्ष के समक्ष की कार्यवाही में वैसे आदेश, निर्णय या निर्देश को उलटने या परिवर्तित करने वाले आवेदन दिया गया हो, वाद संस्थित किया गया हो या अपील दायर की गई हो, जिससे न तो मामले का गुणागुण और न पर्षद् या अध्यक्ष की अधिकारिता प्रभावित हुआ है।

77. वादों का वर्जन.—इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के तहत किये गये किसी आदेश को खारिज या उपांतरित करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जाएगा और पर्षद्, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या अधीक्षक द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया है इस अधिनियम के तहत किया गया तात्पर्यित किसी काम के लिए कोई वाद संधार्य नहीं होगा।

78. वाद-हेतुक की नोटिस देने के बाद ही पर्षद् या अध्यक्ष, आदि के विरुद्ध कोई वाद दायर किया जाएगा.—इस अधिनियम के तहत की गई किसी कार्रवाई या की गई तात्पर्यित किसी कार्रवाई के लिए, लिखित नोटिस देने या पर्षद् के कार्यालय में रख छोड़ने के निकटतम आगामी दो महीने व्यतीत हो जाने के पहले और भी (यदि पर्षद् के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या अधीक्षक या किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध वाद किया जाना मंशायित हो तो) जिस के विरुद्ध वैसा वाद दायर करने की मंशा हो उसका निवास-स्थान, वाद हेतुक और वाद दायर करनेवाले व्यक्ति का नाम और निवास-स्थान बताये बिना, पर्षद् या पर्षद् के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या अधीक्षक या किसी अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद दायर नहीं किया जाएगा।

79. किसी अन्य विधि के होते हुए भी, इसके उपबंध प्रभावी होंगे.—किसी अन्य विधि में किसी बात या विधि का बल रखनेवाली किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे; और वैसी किसी विधि में कोई बात या विधि का बल रखनेवाली कोई बात, जो इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी से असंगत होगी, वैसी असंगति की सीमा तक निरसित समझी जाएगी।

अध्याय 16

पर्षद् का विघटन या अवक्रमण

80. पर्षद् को विघटित या अवक्रमित करने की राज्य सरकार की शक्ति.—[1][(1) यदि राज्य सरकार की राय में, पर्षद् इस अधिनियम के द्वारा या तहत उसे सौंपे गये कर्त्तव्यों के सम्पादन में लगातार व्यतिक्रम करती हो या अपनी शक्तियों का आधिक्य या दुरूपयोग करती हो, तो राज्य सरकार [2][नोटिस द्वारा ऐसा करने के लिए कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए पर्षद् को यथास्थिति, व्यतिक्रमी या अपनी शक्तियों का अधिक प्रयोग या दुरूपयोग करनेवाली घोषित कर सकेगी; और

(क) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जानेवाली तिथि को पर्षद् के कार्यालय-सदस्य पद-त्यक्त किए माने जाएंगे [3][xxx] या

(ख) निदेश देगी कि पर्षद् उस अवधि के लिए अवक्रमित रहेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है।

[4][परंतु यह कि पर्षद् को धारा 81-A(c) के अधीन अनुबद्ध अवधि अर्थात् आदेश के गजट में प्रकाशन की तिथि से 48 महीने से अधिक अवधि तक अवक्रमित नहीं रखा जा सकता।]

[5][(2) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश नहीं दे तब तक उप-धारा (1) के अधीन की गई घोषणा के फलस्वरूप पद त्याग करने वाले पर्षद्-सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए अनर्हक समझे जायेंगे।]

81. अवक्रमण के परिणाम।-जहां धारा 80 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत अवक्रमण का आदेश पारित कर दिया जाएगा, वहां निम्नांकित परिणाम होंगे, अर्थात्:-

(क) पर्षद् के सभी सदस्य, 'आदेश' में नियत की गई तिथि से सदस्य-पद छोड़ देंगे;

1. अधिनियम सं० 62 वर्ष 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. तत्रैव शब्द ''और उक्त तिथि को या उसके पहले नया निर्वाचन किया जाना आवश्यक करेगी'', विलोपित।
4. तत्रैव ''परन्तुक'' अन्तःस्थापित।
5. बिहार (संशोधन) अधिनियम सं० 5 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) अवक्रमण की अवधि के दौरान पर्षद [1][(या अध्यक्ष)] द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के तहत प्रयोग और निष्पादित किये जानेवाले सभी शक्तियां और कार्य उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त और निष्पादित किये जाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाएंगे;

(ग) पर्षद् में निहित सारी सम्पत्ति, अवक्रमण की अवधि के दौरान, राज्य सरकार में निहित रहेगी; और

(घ) अवक्रमण की अवधि की समाप्ति से पहले पर्षद् के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन होगा और [2][नियुक्तियां की जाएंगी]।

[3][**81क. न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा निर्गत किये जाने पर या पर्षद् का गठन अवैध घोषित किये जाने पर राज्य सरकार की शक्ति.**—जहां सक्षम न्यायालय द्वारा पर्षद् को उसके कृत्य-संपादन से मना करती हुई निषेधाज्ञा निर्गत की जाएगी या जहां वैसे न्यायालय द्वारा पर्षद् का गठन अवैध घोषित किया जाएगा, वहां –

(क) राज्य सरकार इस निमित्त वैसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी निषेधाज्ञा के जारी रहने के दौरान, या यथास्थिति, पुनर्गठित पर्षद् की पहली बैठक तक, उक्त पर्षद् या अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त और निष्पादित की जानेवाली शक्तियों और कार्यों को प्रयुक्त और निष्पादित करेगा या करेंगे:

परंतु यह कि जब राज्य सरकार ने निषेधाज्ञा के जारी रहने के दौरान पर्षद् या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों के निष्पादन के लिए पहले ही व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति कर ली हो तो वह या वे व्यक्ति ही विधिवत् पुनर्गठित पर्षद् की पहली बैठक तक वैसा करना जारी रखेगा या रखेंगे;

(ख) पर्षद् में निहित सारी सम्पत्ति, निषेधाज्ञा के जारी रहने के दौरान, या यथास्थिति, विधिवत् पुनर्गठित पर्षद् की पहली बैठक तक, राज्य सरकार में निहित रहेगी; और

[4][(ग) जहाँ न्यायालय के आदेश से पर्षद् का गठन अवैध घोषित किया गया हो, प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी, और इस अधिनियम के अधीन प्रशासक की नियुक्ति, पर्षद् के पुनर्गठन के लिए आदेश की तिथि से अधिनियम की धारा-8 के अधीन 48 महीनों की अवधि के भीतर की जायेगी।]

अध्याय 17

नियमावली और उपविधियां

82. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, प्रकाशन करने के बाद, इस अधिनियम के प्रयोजनों को अमल में लाने के लिए, इस अधिनियम से विसंगतिरहित नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप में, और पूर्वगामी शक्ति की साधारणता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, राज्य सरकार निम्नांकित सभी विषयों या उनमें से किसी के सम्बन्ध में नियम बना सकेगी:–

---

1. अधिनियम सं० 25 वर्ष 1956 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम सं० 62 वर्ष 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. बिहार (संशोधन) अधिनियम सं० 5 वर्ष 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) शर्तें और बन्धेजें जिनके अधीन रहते हुए पर्षद् धारा 5 की उपधारा (3) के तहत किसी सम्पत्ति का अंतरण कर सकेगी;

(ख) [1][xxx]

(ग) शर्तें और बन्धेजें जिनके अधीन रहते हुए पर्षद् और समिति के सदस्य पर्षद् के किसी कार्य के सम्बन्ध में यात्रा कर सकेंगे और ऐसी यात्राओं के लिए दिये जानेवाले यात्रा और अन्य भत्ते;

(घ) पद्धति जिसके अनुसार धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिलेख तैयार और संधारित किया जाएगा;

(ङ) पद्धति जिसके अनुसार और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए पर्षद् धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (द) में निर्दिष्ट खर्च वसूल कर सकेगी;

(च) पद्धति जिसके अनुसार धारा 30 की उपधारा (1) के तहत नोटिसें जारी की जाएंगी;

(छ) [1][xxx]

(ज) [1][xxx]

(झ) [1][xxx]

(ञ) [1][xxx]

(ट) धारा 59 की उप-धारायें (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरणों के फारम और उक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण में अंतर्विष्ट किये जानेवाले ब्योरे;

(ठ) प्राधिकारी जिसके पास न्यासी धारा 65 की उपधारा (1) के तहत अपील कर सकेगा;

(ड) पद्धति जिसके अनुसार धारा 70 के तहत फीस निर्धारित की जाएगी, प्राधिकारी जिसके द्वारा वैसा निर्धारण किया जाएगा, प्राधिकारी जिसके पास निर्धारण के आदेश के विरुद्ध अपील होगी और पद्धति जिसके अनुसार निर्धारित फीस देय होगी; और

(ढ) अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किये जाने के लिए स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुज्ञात हैं।

[2][(3) इस अधिनियम के अध्यधीन बनायी गई नियमावली एवं उपविधियाँ बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधानमंडल के समक्ष जब वह चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जायगा। यह अवधि एक सत्र अथवा दो या दो से अधिक अनुवर्ती सत्रों में हो सकेगी।]

83. उपविधियां बनाने की पर्षद् की शक्ति.—पर्षद् इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इस अधिनियम और तदधीन निर्मित नियमावली से विसंगतिरहित, किसी आवश्यक विषय के लिए, उपविधियां बना सकेगी।

(2) विशेष रूप में और पूर्वगामी शक्ति की साधारणता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, पर्षद निम्नांकित के सम्बन्ध में उप-विधियां बना सकेगी:–

(क) पर्षद् के आदेश का अनुरक्षण और कार्यवाहियों का संचालन;

(ख) समितियों के कार्य और प्रक्रिया;

(ग) उसके या उसकी किसी समिति के समक्ष या पर्षद् के अध्यक्ष या अधीक्षक या किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के समक्ष इस अधिनियम के तहत दाखिल किये जानेवाले आवेदनों पर, और पर्षद् की कार्यवाहियों या अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपियों के लिए आवेदनों पर,

1. संशोधन अधिनियम सं० 1 वर्ष 2007 की धारा 30 द्वारा विलोपित।
2. बिहार (संशोधन) अधिनियम सं० 5 वर्ष 2013 द्वारा अन्तःस्थापित।

ली जानेवाली फीस, इस तरह के आवेदन के फारम और दाखिल करने की पद्धति और शर्तें जिनके अध्यधीन ऐसी कार्यवाही और अभिलेखों की प्रतिलिपियां स्वीकृत की जाएंगी;

(घ) धार्मिक न्यास की पंजी के निरीक्षण के लिये देय फीस;

(ङ) पर्षद् द्वारा तैयार और संधारित की जानेवाली धार्मिक न्यासों की पंजियों के फारम;

(च) धार्मिक न्यास के कार्यालय में रखी जानेवाली बहियां और लेखे;

(छ) न्यासियों द्वारा दिये जानेवाले लेखे, रिपोर्टें और विवरणें;

(ज) धार्मिक न्यासों के लेखे के परीक्षण और प्रकाशन के तरीके, वैसी लेखा-परीक्षा का समय और स्थान, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के प्ररुप और विषय-वस्तु, और लेखापरीक्षक को दिया जानेवाला पारिश्रमिक;

(झ) किसी न्यास की निधियों की अभिरक्षा और निवेश, धारा-28 की उप-धारा (2) के खंड (झ) के तहत अपने पास रहे न्यास-धन को न्यासी द्वारा निक्षेप करने के लिये शर्तें, और न्यासी द्वारा उक्त धन को निकालने के लिए शर्तें;

(ञ) पर्षद् के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, पदनाम, संवर्ग, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कार्य;

(ट) अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यों का आवंटन;

(ठ) पर्षद् के पदाधिकारी और कर्मचारी द्वारा दी जानेवाली प्रतिभूति, यदि हो;

(ड) व्यक्ति जो प्राप्त की गई धनराशि के लिए रसीद देंगे;

(ढ) सामान्य मुहर की अभिरक्षा;

(ण) पद्धति, जिसके अनुसार, सिवाय बैठक के (निर्णयों के) पर्षद् के निर्णयों को विनिश्चित की जा सकेगी;

(त) धारा-60 में उल्लिखित बजट का प्ररूप और उसमें अंतर्विष्ट किये जानेवाले ब्योरे;

(थ) क्षेत्रीय न्यास समिति के कितने सदस्य होंगे, किस तरह क्षेत्रीय न्यास समिति के कामकाज किये जाएंगे, उक्त समिति के लिये कर्मचारी, उन कर्मचारियों की सेवा-शर्तें और बैठकों में उपस्थित होने के लिये और उक्त समिति के कार्यों के सम्बन्ध में की जानेवाली यात्राओं के लिए उक्त समिति के सदस्यों को दिये जानेवाले यात्रा और अन्य भत्ते; और

(द) पर्षद् की नोटिसें, निर्णयों और आदेशों का प्रकाशन।

(3) पूर्व प्रकाशन के बाद ऐसी उप-विधियां निर्मित की जाएंगी और तब तक प्रभावी नहीं होंगी जबतक वे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और संपुष्ट नहीं की जाएंगी:

परंतु यदि राज्य सरकार प्राप्ति की तारीख से चार महीने के भीतर उन उपविधियों को अनुमोदित और संपुष्ट नहीं करेगी तो उक्त उपविधियां, उक्त चार महीने की समाप्ति पर, अनुमोदित और संपुष्ट मानी जाएंगी।

Bihar Hindu Religious Trusts (Amendment) Act, 1982

[Bihar Act No. 62 of 1982][1]

An Act to amend the Bihar Hindu Religious Trusts Act, 1950.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in Thirtythird year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Bihar Hindu Religious Trusts (Amendment) Act, 1982.

2. to 5. Incorporated in the text of the Parent Act.

6. Repeal and saving.—(1) The Bihar Hindu Religious Trusts (Second Amendment) Ordinance, 1982 (49 of 1982) is hereby *repealed.*

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in the exercise of powers conferred by or under this Act as if this Act was in force on the day on which such thing or action was done or taken.

●

1. Assented by the Governor on 30.7.1982 and its Hindi text was published in the Bihar Gazette (ex-ord.) dated 7.8.1982.

The Bihar Hindu Religious Trusts (Amendment) Act, 1992

[Bihar Act 21 of 1992][1]

An Act to amend the Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Forty third year of the Republic of India as follows:—

Financial memorandum.—To implement the amending provisions of Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 a sum of only Rs. 12,000, (Rupees twelve thousand) shall be an additional burden on the State Government and the approval of the Finance Department has been obtained in this regard.

Object and reasons.—The State Government is feeling some difficulty in the implementation of the provisions of the Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 specially in regard to the constitution of the Religious Trust Board effectively due to which some amendments have become essential in the existing provisions of the Act. In the proposed amendment provisions are being made for simplified mode of constitution of the Board on the lines of the provisions of the constitution of *Wakf* Board under the relevant provisions of the **Wakf Act, 1954** also for providing a minimum amount of honorarium to be granted, to the President. The object of this bill is to enact these provisions.

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Hindu Religious Trusts (Amendment) Act, 1992.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Substitution of Section 6 of Bihar Act, 1 of 1951.—In the Bihar Hindu Religious Trusts Act, 1950, (Bihar Act, 1 of 1951) (hereinafter referred to as the said Act) for Section 6, the following shall be *substituted*, namely:—

> "6. *Strength of the Board.*—The Bihar Board of Religious Trusts, the Bihar State Board of Swetamber Jain Religious Trusts and the Bihar State Board of Digamber Jain Religious Trusts, shall each consist of not more than *eleven* members"

3. Amendment of Section 8 of Bihar Act, 1 of 1951.—In the said Act in Section 8.

(1) for sub-section (i) the following shall be *substituted*, namely,

> "(i) The members of the Board including the President shall be appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette from the following categories of persons in such manner that at least *one* person from each of the said categories shall be appointed.
>
> (a) Hindu Members of State Legislature and/or Hindu Members of Parliament representing the State:—

---

1. Assented to by the Governor on 29.8.1992.

(b) Persons, who are or have been a member of the Bihar Civil Service (Executive or Judicial Branch) or a member of the Bihar Superior Judicial Service or the Indian Administrative Service;

(c) The *Sadhus* of the State having interest in Hindu Religious Trusts.

(d) Person having interests in management, control and experience of managing Hindu Religious Trusts of repute and know for their commitments for the Hindu religion.

(e) Advocates of the State known for their experience in dealing with Hindu Religious Trusts Laws.

(2) In sub-section (4) the bracket and figure "(1) shall be *deleted*.

4. Insertion of a new Section after Section 8 of Bihar Act 1 of 1951.—In the said Act after Section 8 the following new Section shall be *inserted*, namely;—

"8A-The Board of Hindu Religious Trust shall, from the date of coming into force of the Bihar Hindu Religious Trusts (Amendment) Act, 1992, ceases to function and the Government, shall appoint an Administrator to exercise all the powers of the Board till the new Board under Section 8 is constituted"

5. Amendment of Section 13 of Bihar Act 1 of 1951.—In the said Act after sub-section (2) of Section 13 a new provision shall be added, namely:—

"Provided that the President shall be entitled to an honorarium of not less than rupees *one* thousand per month and allowances from the Board as may be fixed by the State Government from time to time".

6. Amendment of Section 17 of Bihar Act 1 of 1951.—In the said Act for sub-section (1) of Section 17 the following shall be *substituted*, namely:—

"(1) *Four* members shall form the *quorum* for a meeting of each of the Bihar State Board of Hindu Religious Trusts, Bihar State Board of Swetamber Jain Religious Trusts and the Bihar State Board of Digamber Jain Religious Trusts".

7. Amendment of Section 25 of Bihar Act 1 of 1951.—In the said Act in sub-section (1) of Section 25 after the words "by the Board" the words "or the President as the case may be" shall be *inserted*.

Bihar Hindu Religious Trusts (Amendment) Act, 2006

[Bihar Act, 1, 2007][1]

An Act to Amend the Bihar Hindu Religious Trusts Act, 1950.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty-seventh year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, Extent and Commencement.—(1)This Act may be called the Bihar Hindu Religious Trusts (Amendment) Act, 2006.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 2 of Bihar Act 1 of 1951.—In clause (t) of Section 2 of the said Act the words "and shall be deemed always to mean" shall be *added* after that words "religious trust means" and the words "and where public offerings and donations are not received" shall be *added* after the words used "are not, interested."

3. Amendment of Section 8 of Bihar Act 1 of 1951.—(l) The words "but not more than two" shall be *added* after the words "at least one person" used in sub-Section (1) of Section 8 of the said Act.

(2) After clause (e) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act the following two clauses (f) and (g) shall be *added*:—

"(f) Sanskrit scholars, well-versed with skripters.

(g) Persons from the Scheduled Castes, associated with religious trusts."

4. Amendment of Section 9 of Bihar Act 1 of 1951.—Clause (h) of Section-9 of the said Act, shall be *substituted* by the following:—

"(h) is a trustee who has alienated the trust property, for his own benefit."

5. Amendment of Section 10 of Bihar Act 1 of 1951.—The words "as the case may be" and the words "or elected" and the words "or elected" used twice in Section-10 of the said Act, shall be *deleted.*

6. Amendment of Section-13 of Bihar Act 1 of 1951.—The proviso to sub-section (2) of Section 13 of the said Act, shall be *deleted.*

7. Amendment of Section 24 of Bihar Act 1 of 1951.—After the words "he is Hindu" used in sub-section (1) of Section-24 of the said Act, the following words shall be *added*:—

"and has got a legal or administrative experience of at least 15 years."

8. Amendment of Section 26 of Bihar Act 1 of 1951.—(1) In clause (i) of sub-section (2) of Section 26 of the said Act, the words "one hundred rupees or more" shall be *substituted* by the words "seven thousand rupees".

(2) In clause (ii) of sub-section (2) of Section 26 of the said Act, the words "sixty rupees" shall be *substituted* by the words "five thousand rupees".

9. Amendment of Section 28 of Bihar Act 1 of 1951.—(1) In clause (h) of sub-section (2) of Section 28 of the said Act, after sub-clause (iv) the following three new sub-clauses (v), (vi), and (vii) shall be *added*:—

(v) makes persistent defaults in the submission of budgets, accounts, reports or returns or in payment of contributions or other dues payable to the Board.

(vi) alienates immovable property of the trust in contravention of this Act or misappropriates funds of the trust.

(vii) indulges in immoral act disapproved by *Dharmashashtras* or has violated "maryada" of the "sampradaya" to which he belongs.

(2) In clause (s) of sub-section (2) of Section 28 of the said Act, after the words "in his life time; and" the following shall be *added*:—

"to appoint trustees in vacancies created by the removal under Section 28(2)(h) subject to the wishes of the founder or to a mutual compromise between the Board and the Trust approved by any competent court."

(3) After clause (t) of sub-section (2) of Section 28 of the said Act, the following new clause (u) shall be *added*:—

"(u) to decide all disputes whether any trust is a public or a private trust in accordance with the definition under Section 2(1) of this Act and the decision of the Board shall remain in force until it is set aside by a competent court.

(4) Sub-section (3) of Section 28 of the said Act, shall be *substituted* by the following:—

"(3) Before passing an order under clause (h) of sub-section (2) the Board shall issue a notice to the trustee communicating to him the ground of his proposed removal and provide him a reasonable time for the reply. Before making an order the Board shall consider the reply, if submitted within the required time and in case of the removal under Section 28(2)(h)(vii), shall obtain the opinion of a Dharmacharya who is well-versed with the tenets of that particular sect. After the order of the removal is received by the trustee, he may, within ninety days of the communication of such order, apply to the District Judge for varying, modifying or setting aside the order."

10. Amendment of Section 31 of Bihar Act 1 of 1951.—In sub-Section (2) of Section 31 of the said Act, the words "one hundred rupees" shall be *substituted* by "five thousand rupees."

11. Amendment of Section 32 of Bihar Act 1 of 1951.—After the proviso to sub-section (1) of Section 32 of the said Act, the following sub-clauses shall be added removing the full stop(.):—

"and it may contain provisions for:—

(a) constituting a committee consisting of not more than eleven persons for the purpose of assisting in the whole or any part of the administration of the religious trust,

(b) determining the powers and duties of such committee; and

(c) any other relevant matter incidental to the framing and functioning of such scheme."

12. Amendment of Section 33 of Bihar Act 1 of 1951.—(1) In sub-section (1) after the words "for such period" the following words shall be *inserted:*—

"not exceeding one year."

(2) After sub-section (2) of Section-33 of the said Act, the following new sub-Section (3) shall be *added:*—

"(3) During the period of one year if the dispute over the *bonafide* trustee is not decided by a competent authority, the Board shall settle a scheme for the trust under Section 32 of the Act, subject to any subsequent order of a competent court."

13. Amendment of Section 34 of Bihar Act 1 of 1951.—Heading of Section-34 of the said Act, "Board to keep certain registers" shall be *substituted* by the words "Registration of religious trust and maintenance of registers".

In the existing sub-section (1) of this Section the following words shall be *added* in the beginning:

"All religious trusts shall be registered with the Board and"

14. Amendment of Section 38 of Bihar Act 1 of 1951.—At the end of Section-38 of the said Act, deleting fullstop (.) the following shall be *added:*—

"and no such action of the President, if it is approved by the Board in the next meeting, shall be void merely on the ground that the President had no such power on behalf of the Board."

15. Amendment of Section 40 of Bihar Act 1 of 1951.—Proviso to sub-section (2) of Section 40 of the said Act shall, be *deleted* in whole.

16. Amendment of Section-43 of Bihar Act 1 of 1951.—The existing provisions of Section 43 of the said Act shall, be *substituted* by the following:—

"43. (1) *Constitution of a Tribunal its powers and functions:*—The State Government shall, by notification in the official Gazette, constitute a Tribunal for deciding property disputes under Section 43B and for taking decisions under Section 43C and removal of encroachment on the trust property under Sections 43D, 43E and 43F of the Act and restoration of immovable property alienated in violation of Section 44 of the Act and to appoint a receiver under Section 72.

(2) The Tribunal shall consist of a retired High Court Judge or a retired District Judge. The term of the Tribunal Judge shall be for a period of five years or till the age of 67 years whichever is earlier.

(3) Service conditions of the Tribunal Judge and other staff members shall be such as may be prescribed by the State Government.

(4) The Tribunal shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), while trying a suit or executing a decree or order.

(5) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Tribunal Judge for any damage caused or likely to be caused by anything, in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act :

43A. Procedure for filing an application:—(1) Either the Board or with the permission of the Board, any religious trust or any two persons, interested in the affairs of a particular trust, may file an application with the Tribunal for the recovery of the alienated property or for the removal of encroachment or for the decision on the property disputes referred to it under any provision of the Act :

Provided that if the Board fails to take a decision on the permission within eight weeks from the receipt of the application, the permission will be deemed to have been granted.

(2) Upon the receipt of such application the Tribunal shall hold a summary enquiry in the manner prescribed and pass an appropriate order.

(3) The execution of any order of the Tribunal shall be made through the District Administration which shall comply with the order of the Tribunal.

(4) Any party aggrieved by an order of the Tribunal made under this Act may, within ninety days from the date of the order, file an appeal before the High Court whose decision shall be final."

43 B. Decision of property disputes:—The Tribunal shall decide the following property disputes—

(i) whether any immovable property is or is not a property of a particular trust.

(ii) whether any particular property claimed by the *Mahanth, Shebait,* priest or a trustee is his personal property or the property of the temple or *math.*

Explanations.—(a) If any *Mahanth, Shebait,* priest or trustee claims a particular property to be his personal property, the onus will be on him to prove as to how he acquired the property and whether he intimated the concerned authorities after acquiring such property.

(b) All immovable properties of any *Pauranic Mandir* or *Math* which has been regarded sacred for centuries or of a *gaddi* (seat) of a particular sect which has been in existence for generations will be the property of that *pauranic mandir/math* or of that sect, even when mutated in the name of any trustee unless it is proved that he acquired it through disclosed source of his personal income.

43C. Certain decision on any legal aspect of the religious trust by the Tribunal:—The Tribunal, on receipt of any application from the Board, may examine records of any case and take appropriate decision on any legal aspect of the religious trust in accordance with the procedure prescribed.

43D. Removal of encroachment on the Trust property:—(1) Any trustee or any two persons interested in the religious affairs of the trust with the permission of the Board may file an application with the Tribunal for removal of the encroachment on the trust property.

Explanation.—For the purpose of this Section, the expression "encroacher" shall mean any person who unauthorisedly occupies any land, building, shop, tank and well or any other property and to include—

(3) No injunction shall be granted by any Court in respect of any proceeding taken or about to be taken by the Tribunal under Section 72.

43F. (1) Where it has been reported to the Tribunal or it has reason to believe that a group or groups of person, without any entitlement and with the common object of occupying and land, which is the property belonging to a charitable or religious institution or endowment, are occupying or have occupied any such land and if such group or groups of persons have not vacated the land on demand by the Tribunal or any officer authorised by it in this behalf, the Tribunal shall, notwithstanding anything contained in this Act, order without any notice, the immediate eviction of the encroachers from the land and the taking of possession of the land and thereupon, it shall be lawful for any officer authorised by the Tribunal in this behalf to evict the encroachers from the land by force, taking such police assistance as may be necessary and take possession of the land. Any police officer whose help is required for this purpose shall be bound to render the necessary help to the Tribunal or to such officer authorised by him.

(2) Where, in any proceedings taken under this Section, or in consequence of anything done under this Section, a question arises as to whether any land is the property of the charitable or religious institution or endowment, such land shall be presumed to be the property of the charitable or religious institution or endowment until the contrary is proved.

(3) Notwithstanding anything in this Act, any order of eviction passed by the Tribunal under sub-section (4) of Section 72 shall be final and shall not be questioned in any Court.

17. Addition of new Section after Section 44 of Bihar Act 1 of 1951.—After Section 44 of the said Act the following new Section 44A shall be *added* as noted below:—

"*44A. Restoration of certain alienated trust properties.*—All immovable properties, alienated after coming into force of the Act, in contravention of Section 44 shall be restored to the religious trust by the Tribunal in accordance with the procedure prescribed.

18. Amendment of Section 51 of Act 1 of 1951.—The following new proviso shall be *added* to Section 51 of the said Act:—

"Provided that subject to the provision of Section 44 of the Act a religious trust will have the power to bring the existing rent at par with the prevailing rate of rent in the locality and the whole amount of the rent will be deposited in the bank/post office account of the religious trust. Any party aggrieved with the decision of the religious trust or any two persons interested in the affairs of the religious trust may file an appeal before the sub-divisional Magistrate of that area whose decision shall be final."

19. Amendment of Section 53 of Act 1 of 1951.—In sub-section (2) of Section 53 of the said Act the words "voidable at the instance of the Board" shall be *substituted* by the word "*void*".

(a) any person who is in occupation of property without the approval of the competent authority which has the power to sanction the lease or mortgage or licence of any trust property; and

(b) any person who continues to remain in the property after the expiry or termination or cancellation of the lease, mortgage or licence granted to him.

(2) Where, on receipt of any application under sub-section (1), the Tribunal finds that there is a *prima facie* case of encroachment, it shall cause to be served upon the encroacher a notice specifying the particulars of the encroachment and calling on him to show cause before a certain date why an order requiring him to remove the encroachment before the date specified in the notice should not be made. A copy of the notice shall also be sent to the trustees of the religious institution or endowment concerned.

(3) The notice referred to in sub-section (2) shall be served in such manner as may be prescribed.

(4) Where after considering the objections, if any, of the encroacher received during the period specified in the notice referred to in sub-section (2) and after conducting such enquiry as may be prescribed, the Tribunal is satisfied that there has been an encroachment, he may by order and for reasons to be recorded, require the encroacher to remove the encroachment and deliver possession of the property (land or building or space) encroached upon to the trustee before the date specified in such order.

(5) During the pendency of the proceeding, the Tribunal shall order the encroacher to deposit such amount as may be specified by it in consideration of the use and occupation of the properties in question in the manner prescribed.

43E. Mode of eviction on failure of removal of the encroachment as directed by the Tribunal:—(1) Where within the period specified in the order under sub-section (4) of Section 72, the encroacher has not removed the encroachment and has not vacated the property, the Tribunal shall pass an order for the removal of the encroachment and possession of the property encroached upon. The order of the Tribunal shall be implemented by taking such police assistance as may be necessary. Any police officer whose help is required for this purpose shall render necessary help to the Tribunal.

(2) Nothing in sub-section (1) shall prevent any person aggrieved by the order of the Tribunal under sub-section (4) of Section 72 from instituting a suit in a Court to establish that the religious institution or endowment has no title to the property:

Provided that no Civil Court shall take cognizance of any suit instituted after six months from the date of receipt of the order under sub-section (4) of Section 72:

Provided that no such suit shall be instituted by a person who is let into possession of the property or who is a lessee, licensee or mortgagee, for the religious institution or endowment.

20. Amendment of Section 57 of Act 1 of 1951.—In Section 57 of the said Act, after the words, figures and brackets "sub-section (4) of Section 29," "the words figures and brackets" sub-section (1) and (2) of Section 32" shall be *inserted.*

21. Amendment of Section 58 of Act 1 of 1951.—In Section 58 of the said Act, at the end deleting fullstop (.) the following words shall be *added:*—

"and shall ensure complete transparency in the affairs of the trust by correctly and meticulously maintaining all accounts of income and expenditure."

22. Amendment of Section 67 of Act 1 of 1951.—In sub-section (1) of Section 67 of the said Act, the words "two hundred rupees" and the words "five hundred rupees" shall be *substituted* by the words "two thousand rupees" and "five thousand rupees" respectively.

23. Amendment of Section 69 of Act 1 of 1951.—In clause (A) of sub-section (1) of Section 69 of the said Act, in between the words "As gift and grant" and "received all amounts" the words from the "Government, Banks, Corporations or any registered institution" shall be *inserted.*

24. Amendment of Section 70 of Act 1 of 1951.—(1) In the Explanation to the sub-section (1) of Section 70 of the said Act, the words "at twelve and a half per centum" shall be *substituted* by the words "at twenty per centum".

(2) At the end of sub-section (5) of Section 70 of the said Act deleting full stop (.) the following words and full stop (.) shall be *added:*—

"and may exempt the trust from paying the fees for a particular period, if the trust is situated in a remote village and has got a landed property of less than one acre in the trust deed and the total income of the trust is less than rupees ten thousand per annum."

(3) After sub-section (6) of Section 70 of the said Act, the following new sub-section (7) shall be *added:*—

"(7) After defraying the administrative expenses, if there is any surplus funds, the substantial amount from this fund will be utilized for the renovation and development of religious trusts of *pauranic* and historical importance situated in the State."

25. Amendment of Section 71 of Act 1 of 1951.—In the clause (j) of Section 71 of the said Act, deleting full- stop (.) at the end, the following words and full stop (.) shall be *added:*—

"which shall include the expenditure on maintenance, renovation or development of any *pauranic* or historical *mandir/math* in the State and on the publication of relevant brochures or books or on the production of C.Ds. or documentary films on the religious trusts."

26. Substitution of Section 72 of Act 1 of 1951.—(1) Section 72 of the said Act shall be *substituted* by the following:—

"*72. Special provision for appointment of Receiver.* (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) (as

amended from time to time), where a suit is instituted on behalf of the Board and the property, which is the subject matter of such suit, is in the possession of the defendant, the Tribunal shall, on the application of the plaintiff, appoint a receiver of such property and direct such receiver to pay to the plaintiff, from time to time, such amounts out of the income of the property as the Tribunal may consider necessary for the prosecution of the suit.

(2) Notwithstanding anything contained in the Court Fees Act, 1870 (7 of 1870) (as amended by Bihar Amendment Act, 1995) the fee payable on plaint or memorandum of appeal in respect of a suit filed by the trustee or the Board for the restoration of any alienated immovable property shall be one hundred rupees."

27. Amendment of Section 80 of Act 1 of 1951.—(1) In sub-section (1) of Section 80 of the said Act, the words "by notification" shall be *substituted* by the words "after giving notice".

(2) In clause (a) of sub-section (1) of Section 80 of the said Act, the words "and shall make necessary a fresh election to be held on or before the said date, or" shall be *deleted*.

(3) In clause (b) of sub-section (1) of Section 80 of the said Act, the following proviso shall be *added*.

"Provided that the Board cannot be kept in supersession for a period longer than the stipulated period under Section 81 A (c) *i.e.* 48 months from the date of the Gazette publication of the order."

28. Amendment of Section 81 of Act 1 of 1951.—In the sub-clause (d) of sub-section (1) of Section 81 of the said Act, the words "election shall be held and appointments made" shall be *substituted* by the words "appointments shall be made."

29. Amendment of Section 81 A of Act 1 of 1951.—In the sub-clause (c) of Section 81 of the said Act, the words "election shall be held and appointments made" shall be *substituted* by the words "appointments shall be made".

30. Amendment of Section 82 of Act 1 of 1951.—(1) Clauses (b), (g), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of Section-82 of the said Act, shall be *deleted*.

●

The Bihar Hindu Religious Trust (Amendment) Act, 2013

[Bihar Act 5, 2013][1]

An Act to amend The Bihar Hindu Religious Trust Act, 1951.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in Sixtyfourth year of the Republic of India follows :—

1. Short title, Extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Hindu Religious Trust (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment in Section-7 of the Bihar Act, 1 of 1951.—In the Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 (Bihar Act 1 of 1951) (herein after referred as the said Act) Section 7 shall be *deleted*.

3. Amendment in Section-8 of the Bihar Act, 1 of 1951.—In the said Act in Section 8 of sub-section (2), (4) and (5) shall be *substituted* by the following; namely—

"(2) The members of the Bihar State Board of the Swetamber Jain Religious Trust Including president shall be appointed by the State Government by notification in the Official Gazette from the following categories of persons in such manner that at least one person but not more than two from each of the said categories, shall be included.

(a) Elected member of the State Legislature/Parliament/Municipality/ three tier Panchayat belonging to Swetamber Jain Society.

(b) Persons, who are or have been a member of Bihar Service (Executive or Judiciary or any other Superior Service) or a member of Superior Judicial Service or All India Service.

(c) Trustee of Swetamber Jain Religious trust registered under this Act.

(d) Persons having interest in management, control and experience of managing Swetamber Jain Religious Trust of Repute and known for their commitments for the Swetamber Jain Religion.

(e) Advocates of the State known for their experience in dealing with Swetamber Jain Trust Laws.

(f) Traders of repute from Swetamber Jain Religion of the State.

(g) Renowned Scholars of Swetamber Jain Religion from the State of Bihar.

(4) The State Government shall appoint one from amongst the members appointed under sub-section (1), (2) or (3), as the case may be, the president of the Board.

(5) The term of the office of the President and members of every Board shall, save as otherwise provided in the Act, be five years from the date of the Publication of their names in the official Gazette under Section 12 of this Act and shall include

1. Published in Bihar Gazette (Ex. ord.) No. 333, dated 3rd May, 2013.

any further period which may elapse between expiration of the said five years and the date of the first meeting of the next succeeding Board at which a quorum is present."

4. Substitution of Section 8A of the Bihar Act 1 of 1951.—In the said Act Section 8A shall be *substituted* by the following namely—

"8A. *Appointment of Administrator.*—The Government shall appoint an Administrator to exercise all the powers of the Board when the Board is superseded or after the lapse of the terms of the Board and till the new Board under Section 8 is constituted."

5. Deletion of Section 11 of the Bihar Act, 1 of 1951.—In the said Act in Section-11 number and bracket and word "(1), (2) or " shall be *deleted.*

6. Amendment in Section 80 of the Bihar Act, 1 of 1951.—In the said Act sub-section (2) of Section 80 shall be *substituted* by the following, namely—

"(2) The members of the Board who vacate office by reason of a declaration made under sub-section (1) shall be deemed disqualified, unless the State Government otherwise direct, for re-appointment."

7. Amendment in Section 81A of the Bihar Act, 1 of 1951.—In the said Act clause (c) of Section 81A shall be *substituted* by the following, namely—

"(c) where the constitution of the Board has been declared illegal by the court, an Administrator shall be appointed, and appointment of Administrator under this Act, shall be made for the purpose of reconstituting the Board under Section 8 of the Act, within a period of 48 months from the date of the order."

8. Amendment in Section 82 of the Bihar Act, 1 of 1951.—In the said Act after sub-section (2) of Section 82 a new sub-section (3) shall be *added* by the following namely—

"(3) Rules and by-laws made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the legislature, while it is in Session for a total period of fourteen days. This period may be comprised in one session or in two or more successive sessions."